BCCI BULLETIN

Vol. 53 | APRIL 2022 | No.-4

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

चैम्बर के नि:शुल्क टैली एकाउन्टिंग कोर्स का उद्घाटन माननीय श्रम संसाधन मंत्री, बिहार के कर-कमलों द्वारा सम्पन्न

माननीय श्रम संसाधन मंत्री श्री जिवेश कुमार का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी.के.अग्रवाल।
साथ में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी एवं अन्य।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज में शुरू होने वाले नि:शुल्क टैली एकाउन्टिंग कोर्स का उद्घाटन माननीय श्रम संसाधन मंत्री श्री जिवेश कुमार के कर-कमलों द्वारा दिनांक 11 अप्रैल 2022 को हुआ।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि चैम्बर न सिर्फ राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों के हितों के लिए कार्य करता है बल्कि समय-समय पर देश एवं राज्य में आने वाले प्राकृतिक आपदाओं के समय भी आगे बढ़कर योगदान करता रहा है। साथ ही अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए सतत् प्रयत्नशील रहता है और उसी के तहत चैम्बर कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन नि:शुल्क कर रहा है जिससे समाज के अधिकाधिक युवक-युवतियाँ अपने कौशल का विकास कर अपने जीवन को बेहतर बना सकें।

श्री अग्रवाल ने कहा कि विगत् कुछ वर्षो से Tally Accounting की

दीप प्रज्वलित कर टेली एकाउंटिंग कोर्स का उद्घाटन करते
माननीय श्रम संसाधन मंत्री श्री जिवेश कुमार।
साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी.के. अग्रवाल, वरीय सदस्य श्री रामलाल खेतान,
श्री विवेक साह, श्री आशीष प्रसाद, श्री मनीष तिवारी एवं अन्य।

टैली एकाउंटिंग कोर्स का फीता काटकर उद्घाटन करते
माननीय श्रम संसाधन मंत्री श्री जिवेश कुमार।
साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन,
श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय, श्री रामलाल खेतान एवं अन्य।

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

चैम्बर द्वारा नि:शुल्क टैली एकाउंटिंग कोर्स का विधिवत् उद्घाटन दिनांक 7 अप्रैल, 2022 को माननीय श्रम संसाधन मंत्री श्री जिवेश कुमार जी के कर कमलों हुआ। विगत् कुछ वर्षों से टैली एकाउंटिंग की बढ़ती मांग के आलोक में युवतियों के साथ युवकों के लिए भी टैली एकाउंटिंग कोर्स प्रारम्भ कराया जाये ताकि प्रशिक्षण के उपरान्त युवक-युवतियों को रोजगार प्राप्त करने में सहजता हो। इसी को ध्यान में रखते हुए नि:शुल्क टैली कोर्स का प्रारम्भ टैली कम्पनी के माधयम से किया जा रहा है। इस पर एक-एक संक्षिप्त रिपोर्ट इसी बुलेटिन में प्रकाशित है।

खुशी की बात है कि अब **बिजली सम्बन्धी शिकायत के निवारण हेतु उपभोक्ताओं को कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे।** 15 अप्रैल, 2022 से उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF) में वकील और फीस के बिना उपभोक्ता स्वयं अपना केस लड़ेगे। इसके लिए उपभोक्ताओं को लिखित आवेदन देना होगा। इस आवेदन पर CGRF के चेयरमैन द्वारा सुनवाई की तारीख तय की जायेगी। उक्त कोर्ट में उपभोक्ता स्वयं अपना पक्ष रखेंगे। इसके लिए 20 बिजली सर्किल में उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF) का गठन किया गया है।

दिनांक 21 अप्रैल, 2022 को RTI International (Research Triangle Institute Global India Pvt. Ltd.,) के एसोसियेट निदेशक (उर्जा) श्री दिव्येश कुमार शर्मा, सुश्री शक्ति प्रभा पटेल एवं श्री देवेन्द्र कुमार चैम्बर पदाधिकारियों से मिले एवं **"Achiev Zero Carbon" by the year 2040"** पर विस्तार से चर्चा की।

दिनांक 22 अप्रैल, 2022 को इंडो-जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कोलकाता के क्षेत्रीय निदेशक सुश्री सबीना पाण्डेय एवं जर्मन कॉरपोरेशन के तकनीकी सलाहकार श्री आर० ऋषिकेश महादेव चैम्बर पदाधिकारियों एवं वरीय सदस्यों से मिले और **Sustainable and Environment friendly Indusrial Production (SEIP)** से संबंधित विषय पर विचारों का आदान-प्रदान किया ।

राज्य सरकार द्वारा 14 चक्का व उपर के वाहनों से गिट्टी-बालू की ढुलाई पर लगाये गये प्रतिबन्ध को माननीय पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। **इस सम्बन्ध में चैम्बर की ओर से भी राज्य सरकार से इस पर पुनर्विचार हेतु मांग की गयी थी।**

यह भी हमारे लिए खुशी की बात है कि **बिहार की इथेनॉल पॉलिसी 2021 के आने के बाद देश का पहले नये ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल उत्पादन इकाई का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों द्वारा 30 अप्रैल, 2022 को हुआ।**

दिनांक 12 फरवरी, 2022 को जिलाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में ''चाइल्ड लाइन सलाहकार परिषद्'' की बैठक हुई थी जिसकी कार्यवाही आयी है जिसमें उन्होंने **बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज को निदेश दिया है कि प्रतिष्ठानों दुकानों एवं कारखानों को बाल श्रमिक से मुक्त कार्य स्थल बनाया जाय। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों से भी आग्रह है कि जिलाधिकारी के निदेशानुसार कार्य करें।**

VDA के आलोक में दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से न्यूनतम मजदूरी की दरों में बढ़ोत्तरी की गयी है। इस सम्बन्ध में बताना चाहेंगे कि न्यूनतम मजदूरी के तहत प्रत्येक पाँच साल पर न्यूनतम मजदूरी की दरों में पुनरीक्षण करने का प्रावधान है। **इसके लिए बैठक में वार्त्ता हुई थी और चैम्बर की ओर से प्रयास किया गया कि कम से कम वृद्धि हो क्योंकि इसका प्रतिकूल प्रभाव राज्य के उद्योग-व्यापार पर पड़ेगा। चैम्बर की ओर से इस आशय का एक पत्र भी श्रम संसाधन विभाग को भेजा गया है।**

चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल मेरे नेतृत्व में दिनांक 29 अप्रैल, 2022 को **श्री राकेश मिश्रा, भा.रा.से. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार-झारखण्ड) से उनके कार्यालय कक्ष में मिला और आयकर संबंधी विषयों पर विचार-विमर्श किया।** प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, पूर्व महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, कार्यकारिणी सदस्य श्री सुनील सराफ एवं श्री आशीष प्रसाद शामिल थे।

चैम्बर के वरीय सदस्य एवं पुराने कार्यकारिणी सदस्य श्री बलराम प्रसाद जी का निधन दिनांक 26 अप्रैल, 2022 को हो गया। उसी दिन चैम्बर प्रांगण में एक शोक सभा का आयोजन कर दिवंगत आत्मा की चिर स्थायी शांति हेतु दो मिनट का मौन रखा गया।

बन्धुओं, देश में कोरोना संक्रमण फिर बढ़ने लगा है, इसलिए हमें सतर्क रहने की आवश्कता है। **"दो गज की दूरी मास्क है जरूरी'' का पालन अवश्य करें। जान है तो जहान है।**

सादर,

आपका

पी० के० अग्रवाल

अध्यक्ष

उद्घाटन समारोह में स्वागत संबोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी.के. अग्रवाल। उनकी बायीं ओर माननीय श्रम संसाधन मंत्री श्री जिवेश कुमार, उपाध्यक्ष श्री एन.के. ठाकुर। दायीं ओर महामंत्री श्री अमित मुखर्जी एवं अन्य।

कार्यक्रम को संबोधित करते माननीय श्रम संसाधन मंत्री श्री जिवेश कुमार। उनकी दायीं ओर क्रमशः चैम्बर अध्यक्ष श्री पी.के अग्रवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी तथा बायीं ओर उपाध्यक्ष श्री एन.के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, श्री राजा बाबू गुप्ता एवं अन्य।

माननीय श्रम संसाधन मंत्री को मेमेन्टो भेंटकर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी.के. अग्रवाल। साथ में उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, श्री मुकेश कुमार जैन एवं अन्य।

समारोह में उपस्थित माननीय श्रम संसाधन मंत्री श्री जिवेश कुमार, चैम्बर के पदाधिकारीगण, सदस्यगण तथा टैली एकाउंटिंग कोर्स के प्रशिक्षुगण।

बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए युवतियों के साथ-साथ युवकों के लिए भी Tally Accounting का कोर्स प्रारम्भ कराया जाए जिससे कि प्रशिक्षण के उपरान्त युवकों एवं युवतियों को रोजगार प्राप्त करने में आसानी हो। इसी आलोक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा नि:शुल्क टैली कोर्स का प्रारंभ टैली कम्पनी के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने इस अवसर पर सभी प्रशिक्षुओं को शुभकामनाएं देते हुए अनुरोध किया कि वे नियमित रूप से क्लास करके, अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण करें ताकि उन्हें अच्छे-से-अच्छा रोजगार मिले तभी चैम्बर के उद्देश्यों की पूर्ति होगी।

श्री अग्रवाल ने आगे कहा कि आज से नि:शुल्क प्रारम्भ होने वाला टैली एकाउन्टींग कोर्स युवाओं के कौशल विकास के लिए, चैम्बर द्वारा वर्ष 2014 से नि:शुल्क चलाए जा रहे प्रशिक्षण का चौथा चरण है। इसके पूर्व दिनांक 8 फरवरी 2014 से सिलाई-कटाई का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया था। उसके बाद दिनांक 14 अप्रैल 2015 से कम्प्यूटर कोर्स एवं दिनांक 2 फरवरी 2019 से ब्यूटीशियन का कोर्स प्रारम्भ किया गया था। अध्यक्ष ने कहा कि इसके पूर्व जितने भी कोर्स का प्रशिक्षण दिया गया वह केवल महिलाओं के लिए था लेकिन पहली बार टैली कोर्स का प्रारम्भ युवक एवं युवती दोनों के लिए किया गया है।

श्री जिवेश कुमार, माननीय श्रम संसाधन मंत्री ने चैम्बर द्वारा युवकों एवं युवतियों के कौशल का विकास कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रशिक्षणार्थियों को ऐसा प्रशिक्षण दें कि वह अपने रोजगार के साथ-साथ दूसरों को भी रोजगार देने वाले बने। उन्होंने कहा कि चैम्बर के स्तर से यह पहल किया जाना चाहिए जो बच्चे टैली का कोर्स करके निकलें उनके रोजगार की भी व्यवस्था करें। माननीय मंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से भी रोड मैप बना है और करीब 19 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है, जिस पर अलग से आप लोगों के साथ विचार-विमर्श करेंगे।

इस अवसर पर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, वरीय सदस्य श्री सुभाष कुमार पटवारी, श्री राजा बाबू गुप्ता, श्री ए० के० पी० सिन्हा, श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, श्री ओ० पी० टिबड़ेवाल, श्री सुनील सराफ, श्री राजेश खेतान, श्री रामाशंकर प्रसाद, श्री सच्चिदानन्द, श्री विवेक साह के अतिरिक्त काफी संख्या में टैली कोर्स का प्रशिक्षण लेने वाले युवक-युवतियाँ सम्मिलित थे।

समारोह में माननीय मंत्री जी को चैम्बर अध्यक्ष ने स्मृति चिह्न एवं चैम्बर का कॉफी टेबुल बुक भेंट कर सम्मानित किया।

चैम्बर के महामंत्री अमित मुखर्जी के धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त उद्घाटन समरोह सम्पन्न हुआ।

जीएसटी राजस्व संग्रह 1.42 लाख करोड़ के पार

आर्थिक गतिविधियों में आ रही तेजी के बल पर जीएसटी राजस्व संग्रह में भी बढ़ोतरी का रुख बना हुआ है। इस वर्ष मार्च में जीएसटी राजस्व संग्रह 1.42 लाख करोड़ रुपये के पार रहा जो अब तक संग्रहित जीएसटी का रिकार्ड है। इससे पहले जनवरी 2022 में 140986 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहित हुआ था। जीएसटी लागू होने के बाद यह छठवां ऐसा महीना है जिसमें जीएसटी राजस्व संग्रह 1.30 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी जीएसटी संग्रह के आंकड़ों के अनुसार मार्च में कुल जीएसटी राजस्व संग्रह 142095 करोड़ रुपये रहा है जो मार्च 2021 में संग्रहित 123902 करोड़ रुपये के राजस्व की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। मार्च 2020 में संग्रहित राजस्व की तुलना में 46 फीसदी अधिक है। इस वर्ष जनवरी में यह राशि 140986 करोड़ रुपये और फरवरी में 133026 करोड़ रुपये रही थी। इस वर्ष मार्च में कुल जीएसटी राजस्व संग्रह 142095 करोड़ रुपये रहा है। इसमें सीजीएसटी 25830 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 32378 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 74470 करोड़ रुपये और क्षतिपूर्ति उपकर 9417 करोड़ रुपये रहा है। आईजीएसटी में आयात पर जीएसटी 39131 करोड़ रुपये और क्षतिपूर्ति उपकर में आयात पर जीएसटी 981 करोड़ रुपये शामिल है। सरकार ने आईजीएसटी में से सीजीएसटी में 29816 करोड़ रुपये और एसजीएसटी में 25032 करोड़ रुपये दिया है।

इसके साथ ही राज्यों को 20 हजार करोड़ रुपये भी दिये गये हैं। इस नियमित हस्तांतरण के बाद मार्च में केन्द्र और राज्यों को क्रमश: 65646 करोड़ रुपये और 67410 करोड़ रुपये मिले हैं।

ईंट भट्ठा कारोबारियों पर 'इनपुट टैक्स क्रेडिट' के बिना 6 फीसद जीएसटी लगेगा

ईंट भट्ठा कारोबारी शुक्रवार 1अप्रैल, 2022 से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के बिना छह प्रतिशत जीएसटी देने के लिए एक समग्र (कंपोजीशन) योजना को चुन सकते हैं। जो कारोबारी कंपोजीशन योजना का विकल्प नहीं चुनना चाहते हैं, उन पर आईटीसी के साथ 12 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा।

सरकार ने 31 मार्च को जीएसटी दरों को अधिसूचित किया, जो एक अप्रैल से लागू हैं। अधिसूचना के अनुसार ईंट, टाइल्स, फ्लाई ऐश ईंट और जीवाश्म ईंट के निर्माता कंपोजीशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं। अब तक, ईंटों के निर्माण और व्यापार पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगता था, और व्यवसायों को इनपुट पर क्रेडिट का दावा करने की अनुमति थी। जीएसटी परिषद् ने पिछले साल सितंबर में ईंट भट्ठों को एक अप्रैल 2022 से विशेष संरचना योजना के तहत लाने का फैसला किया था। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि भारत में पहले ही मुद्रास्फीति बढ़ी हुई है और इस समय जरूरी बुनियादी ढांचा क्षेत्र की वस्तुओं पर कर दरों में वृद्धि से आवास और बुनियादी ढांचा क्षेत्र प्रभावित होगा। **(साभार, राष्ट्रीय सहारा, 2 अप्रैल, 2022)**

इंडो-जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कोलकाता के क्षेत्रीय निदेशक का चैम्बर पदाधिकारियों के साथ संवाद

सुश्री सबीना पाण्डे, क्षेत्रीय निदेशक, इंडो-जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं श्री आर. हृषिकेश महादेव, जर्मन कारपोरेशन के तकनीकी सलाहकार को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कॉफी टेबुल बुक भेंट कर सम्मानित करते श्री पी. के. अग्रवाल, चैम्बर अध्यक्ष। साथ में उपस्थित हैं उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, कार्यकारिणी सदस्य श्री अजय गुप्ता, श्री आशीष प्रसाद एवं अन्य।

बिहार चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों से वार्ता करते इण्डो-जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कोलकाता के पदाधिकारीगण।

बिहार चैम्बर द्वारा नि:शुल्क संचालित टैली क्लासेज का अवलोकन करते इंडो-जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कोलकाता के क्षेत्रीय निदेशक एवं अन्य।

बिहार चैम्बर द्वारा संचालित फिजियोथेरेपी सेंटर का अवलोकन करते इंडो-जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कोलकाता के क्षेत्रीय निदेशक एवं अन्य।

इंडो-जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कोलकाता के क्षेत्रीय निदेशक सुश्री सबीना पाण्डे एवं जर्मन कारपोरेशन के तकनीकी सलाहकार श्री आर. हृषिकेश महादेव चैम्बर पदाधिकारियों तथा वरीय सदस्यों से दिनांक 22 अप्रैल 2022 को चैम्बर प्रांगण में मिले और Sustainable and Environment friendly Industrial Production (SEIP) से संबंधित विचारों का आदान-प्रदान किया।

इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल के अतिरिक्त उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, कोषाध्यक्ष विशाल टेकरीवाल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, कार्यकारिणी सदस्य श्री रामाशंकर प्रसाद, श्री अजय गुप्ता एवं श्री आशीष प्रसाद उपस्थित थे।

"Achieve Zero Carbon" by the year – 2040 पर चैम्बर में परिचर्चा

"वर्ष 2040 तक जीरो कार्बन प्राप्ति" पर चर्चा में उपस्थित चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल (बायीं ओर से पाँचवें)। उनकी बायीं ओर क्रमशः आर. टी. आई. इंटरनेशनल के एसोसियेट निदेशक (उर्जा) श्री दिव्येश कुमार शर्मा, सुश्री शक्ति प्रभा पटेल, श्री देवेन्द्र कुमार एवं चैम्बर के कार्यकारिणी सदस्य श्री जी. पी. सिंह। दायीं ओर क्रमशः चैम्बर के महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, कार्यकारिणी सदस्य श्री रामाशंकर प्रसाद एवं उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन

चैम्बर के पदाधिकारियों तथा वरीय सदस्यों के साथ जीरो कार्बन प्राप्ति पर विचार-विमर्श करते आर.टी.आई. इंटरनेशनल के अधिकारीगण।

RTI International (Research Triangle Institute Global India Pvt. Ltd.) के एसोसियेट निदेशक, उर्जा, श्री दिव्येश कुमार शर्मा, सुश्री शक्ति प्रभा पटेल एवं श्री देवेन्द्र कुमार दिनांक 21 अप्रैल 2022 को चैम्बर पदाधिकारियों तथा वरीय सदस्यों से चैम्बर प्रांगण में मिले और "Achieve Zero Carbon" by the year-2040" पर विस्तार से चर्चा की।

इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल के अतिरिक्त उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, कार्यकारिणी सदस्य श्री रामाशंकर प्रसाद एवं श्री जी. पी. सिंह उपस्थित थे।

आपराधिक घटनाओं से फिर सहमे उद्यमी-व्यापारी : चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्डस्ट्रीज ने राज्य में घट रही आपराधिक घटनाओं पर चिंता जतायी है।

चैम्बर महामंत्री अमित मुखर्जी ने कहा कि आपराधिक घटनाओं ने एकबार फिर से व्यापार जगत को हिला दिया है। उद्यमी, व्यापारी सहम गए हैं। खासकर पटना सिटी में दो दिनों के भीतर दो लोगों की हत्या एवं लगातार व्यवसायियों के साथ घट रही घटनाओं से उद्यमियों एवं व्यवसायियों में जान-माल की सुरक्षा के प्रति चिन्ता बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि 31 मार्च को बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राम लाल खेतान के फतुहा थाना स्थित गोदाम में अज्ञात लोगों द्वारा जबरन घुसकर संपत्तियों को क्षति पहुँचाने के साथ गोदाम के स्टाफ को भयभीत करने की घटना, व्यावसायिक माहौल को खराब करने वाला है। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्व इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देकर राज्य के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ रहे हैं। राज्य सरकार एवं पुलिस प्रशासन को बदनाम करने के उद्देश्य से व्यवसायियों को निशाना बनाकर अस्थिरता फैलाना चाहते हैं।

श्री मुखर्जी ने राज्य के पुलिस महानिदेशक, पटना प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक एवं पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया है कि इस प्रकार की घटना में संलिप्त अपराधियों पर अविलम्ब अंकुश लगाने के लिए अपने स्तर से सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दें, जिससे कि राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों में व्याप्त भय दूर हो सके। वे अपने व्यवसायिक गतिविधियों में वृद्धि कर, राज्य के आर्थिक विकास में सम्पूर्ण योगदान देते रहें।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 2 अप्रैल, 2022)

कर संग्रह 27 लाख करोड़ के नए रिकार्ड पर पहुँचा

टैक्स संग्रह में तकनीकों के उपयोग से लेकर चोरी रोकने व दायरा बढ़ाने के अन्य कदमों का सीधा सकारात्मक असर बीते वित्त वर्ष में कर संग्रह पर दिखा है। पिछले महीने खत्म वित्त वर्ष के दौरान देश का सकल कर संग्रह 34 प्रतिशत बढ़कर 27.07 लाख करोड़ रुपये के नए रिकार्ड पर पहुँच गया है। उससे पिछले

चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार-झारखण्ड) से मिला

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल के नेतृत्व में श्री राकेश मिश्रा, भा.रा.से., प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार-झारखण्ड) से उनके कार्यालय कक्ष में मिला एवं आयकर संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श किया।

प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, पूर्व महामंत्री श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय, कार्यकारिणी सदस्य श्री सुनील सराफ एवं श्री आशीष प्रसाद सम्मिलित थे।

वित्त वर्ष में यह संग्रह 22.17 लाख करोड़ रुपये रहा था। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने बताया कि इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स, सीमा शुल्क व जीएसटी संग्रह में तेज उछाल के चलते सकल कर संग्रह रिकार्ड ऊँचाई पर पहुँचा है। इस उछाल के चलते बीते इस वर्ष 31 मार्च को खत्म वित्त वर्ष के दौरान टैक्स -जीडीपी अनुपात बढ़कर 11.7 प्रतिशत रहा, जो वर्ष 1999 के बाद सर्वाधिक है।

(साभार : दैनिक जागरण, 09 अप्रैल, 2022)

खाते से हुई गलत निकासी, तो बैंक मैनेजर को करानी होगी प्राथमिकी

कोई थाने में बैंक फ्रॉड की शिकायत करता है, तो थानेदार को तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर करनी होगी कारवाई

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी बैंक से साइबर अपराधियों द्वारा किसी व्यक्ति के पैसे की निकासी की जाती है और उस बैंक को अगर संबंधित उपभोक्ता जानकारी देता है, तो बैंक मैनेजर को तत्काल उस मामले की प्राथमिकी नजदीकी थाने में दर्ज करानी होगी।

साथ ही हाईकोर्ट ने सभी थानाध्यक्षों को भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति बैंक फ्रॉड के संबंध में उनके यहाँ लिखित शिकायत करता है तो इस बारे में जानकारी दी जाती है, तो उन्हें तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो यह अदालती आदेश का अवमानना माना जायेगा और दोषी पाये जाने पर कार्रवाई की जा सकती है। न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने साइबर क्राइम से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिये।

पीठ ने इस मामले को लेकर कदमकुआँ थाने के अध्यक्ष को अगली सुनवाई पर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश भी दिया, क्योंकि उन्होंने इस मामले की लिखित शिकायत मिलने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं की।

टेलीकॉम कंपनियों से भी मांगी जानकारी : हाईकोर्ट में सभी टेलीकॉम कंपनियों को भी निर्देश दिया कि साइबर क्राइम की जानकारी मिलने के बाद बिहार के बाहर किन-किन राज्यों में कितनी प्राथमिकी उन्होंने दर्ज करायी है, इसकी पूरी जानकारी अगली सुनवाई पर कोर्ट को उपलब्ध कराएँ।

(साभार : प्रभात खबर, 7 अप्रैल, 2022)

चेक बाउंस में दो वर्ष की कैद चेक रकम का दोगुना जुर्माना

49 हजार के चेक बाउंस के मामले में एसीजेएम 13 ने अभियुक्त जय शंकर प्रसाद उर्फ शंकर जी को दो वर्ष कैद और 98 हजार रुपया जुर्माना का फैसला दिया है। इस मामले के गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त शंकर जी को 138 एनआई एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए सजा दी है।

एसीजेएम ने अपने फैसले में कहा कि परिवादी संतोष कुमार ने अभियुक्त जय शंकर प्रसाद के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में 138 एनआई एक्ट के तहत मुकदमा किया था। इस मामले में अभियुक्त शंकर जी ने परिवादी को 49 हजार रुपया का एक चेक दिया था जो बैंक खाता में पर्याप्त रकम नहीं रहने की वजह से चेक बाउंस हो गया। कोर्ट ने इस मामले के फैसला में दोषी शंकर जी को 90 हजार रुपया परिवादी संतोष कुमार को भुगतान करने का निर्देश दिया है और 8 हजार रुपया नजारत में जमा करने का निर्देश दिया है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 1 अप्रैल, 2022)

एचडीएफसी लिमिटेड का होगा एचडीएफसी बैंक में विलय

देश की सबसे बड़ी आवास वित्त कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड का निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक में विलय होगा। करीब 40 अरब डॉलर के इस अधिग्रहण सौदे से वित्तीय सेवा क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी अस्तित्व में आयेगी। यह देश के कंपनी इतिहास में सबसे बड़ा सौदा है।

विलय के बाद प्रभाव : • 100 प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक शेयर-धारकों के पास होगा एचडीएफसी बैंक का सौदा पूरा होने पर • 41 प्रतिशत हिस्सा एचडीएफसी के मौजूदा शेयरधारकों के पास होगा बैंक का • रुपये 17.87 लाख करोड़ होगी संयुक्त बैलेंस शीट विलय के बाद व 3.3 लाख करोड़ रुपये होगा नेटवर्थ • एचडीएफसी लिमिटेड के दो रुपये अंकित मूल्य के प्रत्येक 25 इक्विटी शेयरों के लिए एचडीएफसी बैंक के एक रुपये अंकित मूल्य के 42 इक्विटी शेयर मिलेंगे।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 5 अप्रैल, 2022)

आयकर रिटर्न भरने के लिए फार्म अधिसूचित

आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 का आयकर रिटर्न भरने के लिए फार्म को अधिसूचित कर दिया है। इनमें करदाताओं से विदेशी सेवानिवृत्ति लाभ खातों से होने वाली आय की जानकारी भी मांगी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर रिटर्न फार्म 1-5 को अधिसूचित किया है। आइटीआर फार्म 1 (सहज) और आइटीआर फार्म 4 (सुगम) सरल रूप है। यह बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं। सहज फार्म 50 लाख रुपये तक की आय वाले वे व्यक्ति भर सकते हैं जो वेतन, एक मकान/अन्य स्त्रोतों (ब्याज आदि) से आय प्राप्त करते हैं। जबकि आइटीआर-4 वे व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) और कंपनियाँ भर सकती हैं जिनकी आय कारोबार और पेशे से 50 लाख तक है। आइटीआर-तीन वे व्यक्ति भर सकते हैं, जिन्हें कंपनियों/पेशे से लाभ के रूप में आय प्राप्त होती है। आइटीआर-5 सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा भरा जाता है। आइटीआर-1 मोटे तौर पर पिछले वर्ष की तरह ही है, बस जो नई जानकारी इसमें मांगी गई है वह है शुद्ध वेतन की गणना के लिए किसी अन्य देश में सेवानिवृत्त लाभ खाते से होने वाली आय है।

(साभार : दैनिक जागरण, 2 अप्रैल, 2022)

सभी बैंकों के एटीएम से बिना कार्ड निकलेंगे पैसे

भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड धोखाधड़ी पर अंकुश के लिए कदम उठाने की घोषणा की। उसने सभी बैंकों को एटीएम से बिना कार्ड के कैश निकासी की सुविधा शुरू करने की अनुमति देने का फैसला किया है। अभी कुछ ही बैंक यह सुविधा दे रहे हैं। यह सुविधा ग्राहकों को तभी मिलती है, जब वे संबंधित बैंक की

एटीएम का इस्तेमाल करते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद कहा कि अब यूपीआइ का उपयोग करते हुए सभी बैंकों की एटीएम से बिना कार्ड निकासी सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इसके लेनदेन में आसानी होगी। कार्ड स्किमिंग व क्लोनिंग जैसी धोखाधड़ी को भी रोकने में मदद मिलेगी।

आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक में नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो दर को लगातार 11वीं बार 4 प्रतिशत के निचले स्तर पर रखा गया है। रिवर्स रेपो दर भी 3.35 प्रतिशत ही रखी गयी है। इसका मतलब यह हुआ कि ब्याज दरों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा।

(साभार : प्रभात खबर, 9 अप्रैल, 2022)

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
आवश्यक सूचना

GST अवधि के किसी वित्तीय वर्ष में 20 करोड़ से अधिक सकल आवर्त्त वाले करदाता माल या सेवा या दोनों की B2B आपूर्ति, या निर्यात के लिए दिनांक 01 अप्रैल 2022 से e-Invoice निर्गत करना अनिवार्य है।

e-Invoice के संबंध में विशेष जानकारी के लिए दिए गए लिंक को Click करें :
https://einvoice1.gst.gov.in
https://docs.ewaybillgst.gov.in/Documents/e-invoice-system.pdf

राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव

(साभार : दैनिक जागरण, 2 अप्रैल, 2022)

नीति आयोग की रैंकिंग में कटिहार रहा प्रथम

• पिछड़े जिलों में विकास की रफ्तार हुई कम : तारकिशोर • गया को दूसरा व मुजफ्फरपुर को मिला तीसरा स्थान

नीति आयोग ने फरवरी, 2022 की डेल्टा रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में देश के कुल 112 आकांक्षी जिलों (एस्पिरेशनल डिस्टिक्स) में कटिहार को प्रथम स्थान मिला है। गया, मुजफ्फरपुर और खगड़िया क्रमश: द्वितीय, तृतीय एवं सातवें स्थान पर रहे हैं।

उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इन जिलों के डीएम और संबंधित अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व के साथ-साथ अधिकारियों की मेहनत का प्रतिफल है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 1 अप्रैल, 2022)

बिहार सर्वाधिक खर्च करने वाले पाँच राज्यों में शामिल

• 2,18,302.70 करोड़ में 200461.51 करोड़ खर्च • वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री व विभागों का जताया आभार

पहली बार बिहार का वार्षिक बजट खर्च दो लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। वर्ष 2004-05 में कुल बजट 23885 करोड़ रुपये था, जिसमें मात्र 20,058 करोड़ खर्च हुआ था। वहीं, वर्ष 2021-22 में बिहार का बजट आकार 2.18 लाख करोड़ का था और राज्य सरकार 2 लाख 461.51 करोड़ से अधिक खर्च करने में सफल रही है, जो कि वर्ष 2020-21 के व्यय से 21 प्रतिशत ज्यादा है। बिहार देश में दो लाख करोड़ रुपए से अधिक व्यय करने वाले पांच बड़े राज्यों में शुमार हो गया है।

बजट राशि खर्च करने वाले तीन प्रमुख विभागों में शिक्षा विभाग ने सर्वाधिक 33517.07 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग ने 13586.28 करोड़ व स्वास्थ्य विभाग ने 11285.39 करोड़ रुपये खर्च किए।

उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इसे राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। कहा कि हमारी सरकार ने पहली बार सर्वाधिक खर्च विकास कार्यों में किया। कोविड के दौर में भी बिहार ने राजस्व जुटाने से लेकर खर्च करने तक में काफी बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने इसके लिए सीएम नीतीश कुमार के प्रति आभार प्रकट किया।

(साभार : हिन्दुस्तान, 1 अप्रैल, 2022)

केंद्र ने बिहार को तय कोटा से दी अधिक राशि

मानकों पर खरा उतर रहा है बिहार : नितिन नवीन

सूबे के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि हम केंद्र सरकार के आकांक्षाओं पर खरे उतर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि बिहार के द्वारा समर्पित परियोजनाओं को एक-एक कर केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल रही है। इस वर्ष 385 किलोमीटर सड़कों के अवार्ड का लक्ष्य रखा गया था जिसे पथ निर्माण विभाग ने पूरा कर लिया है। साथ ही निर्माण का 99 फीसदी लक्ष्य भी पूरा करते हुए 304 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है।

इस साल केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को एनएच निर्माण के लिए आवंटित कोटे से लगभग 100 करोड़ की राशि अधिक दी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्यों का कोटा तय करते हुए केंद्र सरकार ने बिहार के लिए 2958 करोड़ तय किया था। सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य में बनने वाली 240 किलोमीटर सड़कों की बजटीय मंजूरी देते हुए 3054 करोड़ की मंजूरी दे दी। वैसे एनएच निर्माण को बिहार ने केंद्र से 3400 करोड़ की मांग की थी। जिन सड़कों के निर्माण की मंजूरी दी गई है उसमें एनएच 101 छपरा-महमदपुर के बीच 15.5 किलोमीटर सड़क शामिल है। इसके निर्माण के लिए केंद्र ने 84.98 करोड़ की मंजूरी दी है। एनएच 104 में शिवहर-चकिया रोड में छूटे हुए सड़क 1.32 किलोमीटर के लिए केंद्र ने 5.76 करोड़ की मंजूरी दी है। एनएच 120 के तहत गया-डुमरांव में 4.3 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 3.14 करोड़ की मंजूरी दी गई है। एनएच 103 में जंदाहा बाइपास के लिए 52.86 करोड़ की मंजूरी मिली है। छपरा शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने छपरा में बाइपास बनाने का प्रस्ताव दिया था। केंद्र ने रिविलगंज बाइपास के लिए दो खंडों में 126.83 करोड़ और 295.25 करोड़ की मंजूरी दी है। एनएच 28बी छपरा-बेतिया वाल्मीकि नगर में 24.8 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 97.6 करोड़ की मंजूरी दी गई है। वहीं एनएच 104 चकिया-शिवहर-जयनगर-नरहिया में 154वें किलो- मीटर पर आरओबी बनाने के लिए 70.01 करोड़ की मंजूरी दी गई है। एनएच 527ई रोसड़ा-दरभंगा में छतौनी ब्रिज के पास सड़क मरम्मत में 42 लाख खर्च होगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 2 अप्रैल, 2022)

कहलगांव में बन सकता है दूसरा कोल लिंकेज थर्मल पावर प्लांट

• 25 मार्च को पटना में खनन विभाग की हुई थी बैठक • 3 किमी दूर गंगा बहती है खनन क्षेत्र से • माधोरामपुर में मिली कोयले की खान के बाद बन रही योजना • जीएसआई ने गंगा के समीप होने से खनन में खतरा बताया था।

कहलगांव में एक और कोल लिंकेज थर्मल पावर प्लांट की संभावना है। कुछ माह पहले अनुमंडल क्षेत्र के माधोरामपुर में मिली कोयले की खान के बाद सरकार इसको लेकर योजना बना रही है।

यह पहला कोल ब्लॉक अटैच थर्मल होगा : धनबाद से आए माइंस इंजीनियरों ने खनन क्षेत्र के समीप थर्मल की स्थापना की सलाह दी। बीसीसीएल व सीएमपीडीआई के अभियंताओं ने बताया कि देश में कुछ जगहों पर कोल ब्लॉक के पास ही थर्मल प्लांट लगाया गया है। इससे कॉस्टिंग कम आएगी। हालांकि बिहार व झारखंड में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है।

"पटना में हुई बैठक में माधोरामपुर का मुद्दा था। कोयला क्षेत्र से सटे गंगा के होने के बाद खनन में आने वाली बाधा पर चर्चा में ही थर्मल प्लांट की बात आयी। मुख्यालय स्तर पर मंथन हो रहा है।"

– अखलाक हुसैन
जिला खनिज विकास पदाधिकारी, भागलपुर

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 2 अप्रैल, 2022)

सफल स्टार्टअप को मिलेगी जगह

उद्योग विभाग को पूरी तरह बदल दिया जाएगा। बियाडा, आइडा में जल्द परिवर्तन दिखाई देगा, जो पिछले 50 साल में नहीं हुआ है। वह अगले तीन महीने में दिखेगा। उक्त बातें उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने दिनांक 7 अप्रैल, 2022 (गुरुवार) को उद्योग भवन के प्रथम तल पर आइआइटी, पटना और उद्योग विभाग द्वारा तैयार जीरो लैब के लोगो एवं वेबसाइट का शुभारंभ करते हुए कहीं। उद्योग मंत्री ने कहा कि इंदिरा भवन को तैयार किया जा रहा है। निवेशक यहीं पर उद्योग मंत्री व प्रधान सचिव से भी मिल सकेंगे। फ्रेजर रोड स्थित बिहार स्टेट फाइनेंस कारपोरेशन के भवन में स्टार्टअप टावर बनाया जाएगा यहाँ कामयाब होने वाले स्टार्टअप को जगह दी जाएगी।

शाहनवाज ने कहा कि स्टार्टअप के लिए सीआइएमपी को डेढ़ करोड़ रुपए दिए गए हैं। आइआइटी पटना के साथ आइडिएशन लैब का करार हुआ था। यह अब काम करने लगा है। जीरो लैब में आइडिया जेनरेशन, एनालिसिस और इंफार्मेशन को बेहतर करने की व्यवस्था होगी। राज्य में लोगों के पास आइडिया की कमी नहीं है। उन्होंने बियाडा की जमीन लेकर उद्योग नहीं लगाने वाले पर कहा कि उद्योग लगाएं या जमीन वापस करें। जमीन नहीं लौटाने पर कार्रवाई की जाएगी। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 8 अप्रैल, 2022)**

अगले माह से काम करने लगेगा जमीन रजिस्ट्री का नया सॉफ्टवेयर

जमीन रजिस्ट्री के नये सॉफ्टवेयर नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम या एनजीडीआरएस को पिछले एक अप्रैल से पटना जिले के विक्रम प्रखंड में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू करना था, लेकिन तकनीकी कारणों से अब तक यह नहीं हो पाया है। अब मई माह से इसे लागू किया जायेगा।

केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकसित इस सॉफ्टवेयर को लागू करने वाला बिहार देश का 12वाँ राज्य होगा। इसके लागू होने के बाद जमीन की खरीद-बिक्री की सभी जानकारियाँ विभिन्न विभागों को आसानी से मिल सकेंगी। इस सॉफ्टवेयर पर जमीन का निबंधन शुरू होने के बाद जमीन की खरीद-बिक्री में पारदर्शिता आयेगी। जमीन से जुड़े रिकार्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। **(साभार : प्रभात खबर, 13 अप्रैल, 2022)**

एक जुलाई से 100 माइक्रोन पतले प्लास्टिक पर पूर्णरूप से प्रतिबंध

कांटा, चम्मच और प्लास्टिक से बने पानी के पाउच प्लास्टिक के झंडे, ध्वज, कैरी बैग, रोक लगाने के लिए कमेटी का हो चुका गठन, जिला स्तर पर हर माह होगी बैठक

थर्मोकोल से बनी वस्तुओं और 100 माइक्रोन से पतली प्लास्टिक के इस्तेमाल पर एक जुलाई से पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। अब थर्मोकोल से बने कप, प्लेट, ग्लास, कटोरी, कांटा, चम्मच और प्लास्टिक से बने पानी के पाउच, प्लास्टिक के झंडे, ध्वज, कैरी बैग आदि पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों से आदेश का पूर्णरूप से पालन कराने का निर्देश दिया है। बिहार में 15 दिसंबर से प्रतिबंध लगनेवाला था, व्यवसायियों की मांग प्लास्टिक की वस्तुओं के इस्तेमाल में संशोधन करते हुए एक जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। देशभर में एक साथ प्लास्टिक और थर्मोकोल से बनी वस्तुओं पर रोक लगने जा रही है। बिहार सरकार केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार संशोधन कर 100 माइक्रोन से अधिक मोटाई वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। **बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स ने केंद्र सरकार के अनुरूप प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। तर्क दिया गया था कि देशभर में प्रतिबंध एक जुलाई 2022 से लग रहा है तो बिहार में 15 दिसंबर 2021 से क्यों लगाया जा रहा है। इसके बाद बिहार सरकार ने समय सीमा में वृद्धि कर दी थी।**

राज्यभर में प्लास्टिक और थर्मोकोल के उत्पादन, भंडारण, आयात, परिवहन, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग जाएगा। राज्य सरकार ने 16 जून 2021 को गजट प्रकाशित किया था। 15 दिसंबर 2021 से इसे प्रभावी होना था। केंद्र सरकार ने आठ अप्रैल 2021 को सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने तथा मिशन मोड में लागू करने का निर्देश देशभर के मुख्य सचिव को दिया था। बिहार सरकार ने इस निर्देश को अमलीजामा पहनाने के लिए शहरी क्षेत्र में नगर विकास एवं आवास विभाग और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग को नोडल विभाग के रूप में नामित किया है।

"प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है। एक जुलाई से इसके इस्तेमाल पर पूर्णरूप से रोक लगा दी जाएगी। उत्पादन, परिवहन और इस्तेमाल करने वालों को दंडित किया जाएगा। जिला और अनुमंडल स्तर पर टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। देशभर में प्लास्टिक और थर्मोकोल पर प्रतिबंध लग रहा है। लोग अभी से ही इस्तेमाल न करें।"

– दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार
(विस्तृत : दैनिक जागरण, 1 अप्रैल, 2022)

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्
परिवेश भवन, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र रोड, पटना-800010

बिहार राज्य की परिसीमा में किसी भी आकार व मुटाई के नन-उभेन प्लास्टिक कैरी बैग (Non-woven Plastic Carry Bag) समेत सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग का विनिर्माण (Manufacture), आयात (Import), भण्डारण (Storage), परिवहन (Transportation), विक्रय (Sale) एवं उपयोग (Use) पूर्णरूप से प्रतिबंधित है।
नन-उभेन प्लास्टिक कैरी बैग यह भी प्लास्टिक है।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 1 अप्रैल, 2022)

बिजली संबंधी केस बिना वकील लड़ सकेंगे उपभोक्ता

अब बिजली से संबंधित शिकायत के निवारण के लिए उपभोक्ताओं को कार्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। 15 अप्रैल से उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) में वकील और फीस के बिना उपभोक्ता खुद अपना केस लड़ेंगे। इसके लिए उपभोक्ताओं को लिखित आवेदन देना होगा। इस आवेदन पर सीजीआरएफ के चेयरमैन द्वारा सुनवाई की तारीख तय की जाएगी। कोर्ट में अपना पक्ष खुद रखेंगे। इसके लिए 20 बिजली सर्किल में उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) का गठन किया गया है। 10 अप्रैल तक तीसरे सदस्य की नियुक्ति पूरी होने की उम्मीद है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 1 अप्रैल, 2022)

राजस्व वसूली में पास, अब निबार्ध बिजली आपूर्ति की परीक्षा

राजस्व वसूली की परीक्षा में जिले के तीनों बिजली अंचल पास हो गये। मार्च में पटना के तीनों अंचल ने 260 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व वसूला। गर्मी के मौसम में निर्बाध आपूर्ति करना चुनौती है। सभी 18 आपूर्ति प्रमंडल अपने-अपने क्षेत्र की विद्युत संरचना को मजबूत बनाने में जुट गए हैं।

पटना शहरी में 510 और ग्रामीण क्षेत्रों में 430 मेगावाट की बिजली खपत होने लगी है। पेसू क्षेत्र में 800 और ग्रामीण क्षेत्रों में 550 मेगावाट से अधिक बिजली की मांग की संभावना है।

पटना अंचल राजस्व वसूली में अव्वल : मार्च में पटना जिले के तीनों अंचल ने 260 करोड़ का रिकार्ड राजस्व वसूला। इसकी चर्चा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मुख्यालय में हो रही है। पटना विद्युत आपूर्ति प्रतिष्ठान के दोनों अंचलों को पटना अंचल राजस्व वसूली में पीछे छोड़ दिया है। पटना

पाटलिपुत्र सर्राफा संघ के पदाधिकारियों का निर्वाचन

पाटलिपुत्र सर्राफा संघ के सत्र 2022-26 हेतु श्री विनोद कुमार, अध्यक्ष, श्री शशि कुमार (मंटू), महासचिव एवं श्री राजेश कुमार जाडिया (राजू भाई), कोषाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए।

"बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से नव-निर्वाचित पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।"

– पी॰ के॰ अग्रवाल
अध्यक्ष, बी॰सी॰सी॰आई॰

पाटलीपुत्र सर्राफा संघ के निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष श्री विनोद कुमार (मध्य में)। उनकी बाँयीं ओर महासचिव श्री शशि कुमार (मंटू) एवं दाँयीं ओर कोषाध्यक्ष श्री राजेश कुमार जाडिया (राजू भाई)। साथ में संघ के सदस्यगण।

विद्युत आपूर्ति प्रतिष्ठान 164 करोड़ राजस्व वसूला है। इसमें पेसू पश्चिम अंचल 91.50 करोड़ और पेसू पूर्वी अंचल 73.48 करोड़ का राजस्व वसूला है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति करने वाला पटना अंचल 96 करोड़ राजस्व संग्रह किया है।

पेसू महाप्रबंधक मुर्तजा हेलाल ने बताया कि राजस्व वसूली की तरह निर्बाध बिजली आपूर्ति में भी अभियंता पास हो जाएँगे। तैयारी पूरी कर ली गई है।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 5.4.2022)

नेपाल जाना हुआ आसान, और मधुर होंगे संबंध

समस्तीपुर मंडल के जयनगर-जनकपुर-कुर्था रेलखंड पर आठ साल के बाद ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ है। इससे यात्रियों में काफी खुशी है। मधुबनी व भागलपुर के लोग आसानी से नेपाल जा सकेंगे। इससे दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मधुर होंगे। लोगों का कहना था कि जनकपुर धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहद सुविधाजनक रहेगी। सेवाएँ शुरू हो जाने से यात्रा बेहद आसान हो जायेगी। साथ ही व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। रेल सेवा शुरू हो जाने पर जनकपुरधाम में दुकानदारों में भी काफी हर्ष है। इधर पूर्व रेलवे ने भागलपुर होकर हावड़ा-जयनगर पैसेंजर ट्रेन को एक्सप्रेस के रूप में चलाने की घोषणा की है।

यात्री 12.50 रुपये में पहुँच जायेंगे नेपाल : • भारत से नेपाल जाने के लिए 12.50 रुपये खर्च करने होंगे • जयनगर से इनवां का 12.50 रुपये व खजुरी का 15.60 रुपये, महिनाथपुर 21.87 रुपये, वैदेही 28.25 रुपये, परवाहा 34 रुपये, जनकपुर 43.75 रुपये व कुर्था के लिए 56.25 रुपये किराया देना होगा।

कारोबारियों को मिलेगा व्यापक बाजार : कारोबारियों को एक व्यापक बाजार मिलेगा। सूरत, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता की तरह उन्हें नेपाल की थोक मंडी मिलेगी।

भागलपुर से जयनगर की ट्रेनें : • भागलपुर-जयनगर इंटरसिटी (15553) / भागलपुर : सुबह 7.50 बजे – जयनगर : शाम 4.05 बजे • हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस / भागलपुर : रात 10.35 बजे – जयनगर : दोपहर 12.05 • जयनगर-जनकपुर (नेपाल), दूरी : 34.9 किलोमीटर

(साभार : प्रभात खबर, 3 अप्रैल, 2022)

टोल टैक्स पूरा, सुविधाएं अधूरी

ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का नहीं हो रहा है पालन, हालांकि औसतन हर महीने दुर्घटनाग्रस्त दस लोगों की जान बचाती है पेट्रोलिंग गाड़ी

दीदारगंज टोल प्लाजा के समीप फोरलेन पर एप्रोच रोड का काम पूरा नहीं हुआ है। नाले का निर्माण नहीं कराया गया है। महादेवस्थान के पास अंडरपास या पुल की जरूरत है। कई स्थानों पर सड़क की स्थिति बेहतर नहीं है, जबकि अधिकारी फोरलेन पर बेहतर सुविधा देने का दावा करते हैं।

ये सुविधाएँ देना अनिवार्य : • प्रत्येक 50 से 60 किलोमीटर पर एंबुलेंस-क्रेन की तैनाती • पुरुष-महिला के पृथक शौचालय, टोल मार्ग पर मैकेनिक की सुविधा • फायर ब्रिगेड, टो-अवे क्रेन की व्यवस्था भी होनी चाहिए • 24 घंटे पुलिस पेट्रोलिंग सुविधा • बस के रुकने की जगह, पीने के पानी की व्यवस्था भी हो • इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 1033 शुरू किया गया है।

अधिकतर टोल प्लाजा पर जरूरी सेवाएं उपलब्ध नहीं : देश के सभी टोल प्लाजा पर आवश्यक सुविधाओं और सेवाओं का रहना जरूरी है। इसमें एम्बुलेंस से लेकर रोड रिपेयरिंग व्हीकल और क्रेन का होना अतिआवश्यक है। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण अधिकतर टोल प्लाजा पर इसका पालन नहीं हो रहा है। हालांकि एनएचएआई के अधिकारी दावा करते हैं कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में कोताही होने पर टोल संभालने वाली एजेंसियों पर कार्रवाई की जाती है।

• एम्बुलेंस से लेकर रोड रिपेयरिंग व्हीकल और क्रेन का होना जरूरी • 40 प्रतिशत टैक्स में रियायत देनी होती है खर्च निकलने के बाद • 60 किमी दूरी से पहले टोल नहीं होना चाहिए।

एनएचएआई ने एक अप्रैल से लगभग 10% टोल टैक्स में वृद्धि की

वाहन	ये थी पुरानी दरें	बढ़ोत्तरी के बाद नई दरें
कार/जीप	90 रुपए	100 रुपए
मिनी बस	145 रुपए	160 रुपए
थ्री एक्सल कॉमर्शियल वाहन	330 रुपए	365 रुपए
4-6एक्सल कॉमर्शियल	475 रुपए	525 रुपए
ओवरसाइज कॉमर्शियल	575 रुपए	640 रुपए

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 1 अप्रैल, 2022)

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान रेलवे ने की रिकार्ड माल ढुलाई

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय रेल ने माल ढुलाई, विद्युतीकरण, नई लाइन दोहरीकरण व गेज परिवर्तन, लोको उत्पादन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी के एकीकरण सहित विभिन्न श्रेणियों में ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हासिल की हैं। भारतीय रेल के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में रेलवे ने माल ढुलाई के क्षेत्र में 1418.10 मीट्रिक टन माल ढुलाई की है, जो 2020-21 में 1233.24 मीट्रिक टन की माल ढुलाई की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। यह किसी वित्त वर्ष में भारतीय रेल के लिए अब तक की सबसे अधिक माल ढुलाई है और भारतीय रेल ने सितम्बर 20 से मार्च 22 तक लगातार संबंधित 19 महीनों में अब तक की सबसे अधिक मासिक माल ढुलाई हासिल की है।

बिहार इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसिएशन की 12वीं आम सभा का माननीय उद्योग मंत्री ने किया उद्घाटन

राज्य में बाहर से उत्पादित सामान की जगह राज्य में उत्पादित सामान को खरीदारी में प्राथमिकता दी जा सकती है। पाइप, सरिया आदि जिसका उत्पादन बिहार में होता है और यदि उसकी गुणवत्ता सही है तो उनकी खरीदारी में बिहार उत्पादित सामान को वरीयता देनी होगी। यह बातें रविवार 03 अप्रैल, 2022 को बिहार इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसिएशन (BETA) के 12वें वार्षिक आम सभा में राज्य के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कही।

उन्होंने कहा कि वे जिन कंपनियों से प्रदेश में बेचने के लिए सामान लेते हैं उनसे प्रदेश में ही फैक्ट्री लगाने और अपने सामान का उत्पादन करने का आग्रह कीजिए। बिहार में 'मेक इन बिहार' आंदोलन की आवश्यकता है। पहले सिरामिक टाइल्स केवल गुजरात में बनता था अब तमिलनाडु सहित कई प्रदेशों में भी बन रहा है। बिहार में भी उपभोग होने वाले उत्पादों का उत्पादन बिहार में हो, इसके लिए प्रयास हम सभी को करना है। इस मौके पर बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक कारोबारी मौजूद रहे। वार्षिक आमसभा में वर्ष 2022-23 के लिए बेटा (BETA) के पदाधिकारियों में कोई बदलाव नहीं किया गया।

बिहार इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करते माननीय उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन एवं एसोसिएशन के पदाधिकारीगण एवं अन्य।

उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योग धंधों को लगाने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम, इज ऑफ डूइंग में सुधार किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग की एक ईंच जमीन उद्योग छोड़ किसी दूसरे काम के लिए नहीं दी जाएगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 4 अप्रैल, 2022)

परिवहन विभाग

आम सूचना

सभी वाहन स्वामी कृपया धयान दें

सभी वाहनों का निबंधन कराया जाना अनिवार्य है। बिना निबंधन के वाहन का परिचालन अवैध है।

परिवहन विभाग को यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि कतिपय वैसे वाहनों का परिचालन हो रहा है, जिसके वाहन स्वामी का निधन हो गया है तथा बिना नाम स्थानांतरित कराये ही वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

मोटरयान अधिनियम नियमावली 1988 की धारा 50(2) एवं केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 56 के संगत प्रावधानों के आलोक में उस व्यक्ति, जिसके नाम से मोटरयान रजिस्ट्रीकृत है, की मृत्यु हो जाने अथवा किसी सार्वजनिक नीलामी में क्रय किए गए वाहन की स्थिति में वाहन को उत्तराधिकार में प्राप्त करने वाले व्यक्ति या मोटरयान को क्रय या अर्जित करने वाले व्यक्ति के नाम से वाहन के स्वामित्व का अंतरण कराया जाना अनिवार्य है। बिना नाम स्थानांतरित कराये वाहनों का परिचालन मोटरयान अधिनियम / नियमावली के संगत प्रावधानों के आलोक में दण्डनीय है।

किसी मोटरयान के स्वामी की मृत्यु की स्थिति में वाहन का वैध उत्तराधिकारी उस वाहन के स्वामी की मृत्यु के तीस दिन के भीतर संबंधित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को वाहन के स्वामी की मृत्यु की सूचना देकर उस वाहन का प्रयोग अधिकतम तीन माह की कालावधि के लिए कर सकता है एवं उसी अवधि के भीतर वाहन का स्वामित्व अंतरण हेतु आवेदन वाहन के निबंधन प्राधिकरण के समक्ष किया जाना अनिवार्य है।

अत: सभी वाहन स्वामियों एवं वाहन के उत्तराधिकारी, जो वाहन का स्वामित्व अंतरण अपने नाम नहीं कराए हैं, को सूचित किया जाता है कि ये तत्काल संबंधित जिला परिवहन कार्यालय से उत्तराधिकार में प्राप्त वाहन का अपने नाम से स्वामित्व का अंतरण कराना सुनिश्चित करें।

संयुक्त सचिव

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

(साभार : आइनेक्स्ट, 4 अप्रैल 2022)

वहीं विद्युतीकरण के क्षेत्र में साल 2021-22 के दौरान भारतीय रेल के इतिहास में 6,366 रूट किमी का रिकार्ड विद्युतीकरण हासिल किया गया है। साल 2020-21 के दौरान पिछला उच्चतम विद्युतीकरण 6,015 रूट किलोमीटर था। जोकि 31.03.2022 तक, भारतीय रेल (केआरसीएल सहित) के बीजी नेटवर्क के 65,141 रूट किलोमीटर में से 52,247 ब्राड गेज रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया है, जो कुल ब्राड गेज नेटवर्क का 80.20 प्रतिशत है। वहीं नई लाइन और दोहरीकरण, गेज परिवर्तन में 2400 किलोमीटर के लक्ष्य के मुकाबले 2904 किलोमीटर और 2020-21के 2361 किलोमीटर के लक्ष्य को हासिल किया गया था। यह पिछले साल के मुकाबले 23 प्रतिशत ज्यादा है।

(साभार : दैनिक जागरण, 3.4.2022)

हर महीने 20 दवा प्रतिष्ठानों की जाँच करेंगे ड्रग इंस्पेक्टर

प्रदेश में दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और दवाओं की कीमतों पर मनमानी को नियंत्रित करने के इरादे से स्वास्थ्य विभाग ने ड्रग इंस्पेक्टरों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। सभी जिलों के ड्रग इंस्पेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे महीने में कम से कम 20 दवा प्रतिष्ठानों की जाँच करें और अपनी रिपोर्ट सरकार को मुहैया कराएँ।

लाइसेंस का आकलन भी करेंगे : इन कार्यों के साथ ही ड्रग इंस्पेक्टर अपने क्षेत्र में पेंडिग ड्रग लाइसेंस का आकलन भी करेंगे और उनके निष्पादन के आवश्यक कदम उठाएँगे। लाइसेंस जारी होने के बाद संबंधित जिले में राजस्व संग्रहण से संबंधित अद्यतन रिपोर्ट भी स्वास्थ्य मुख्यालय को मुहैया कराने का जिम्मा औषधि निरीक्षकों को सौंपा गया है।

जाँच में गड़बड़ी मिली तो प्रतिष्ठानों पर होगी कार्रवाई : विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार निरीक्षक दवा प्रतिष्ठानों में प्रतिबंधित दवाओं की उपलब्धता, सब स्टैंडर्ड दवा, एक्सपायर हो चुकी दवाओं की जाँच करेंगे। साथ ही प्रतिष्ठान उपभोक्ताओं से दवाओं की अधिक कीमत तो नहीं वसूल रहे इसकी भी जाँच होगी। यदि प्रतिष्ठान में प्रतिबंधित दवाएँ पाई जाती हैं तो ऐसे प्रतिष्ठानों के विरुद्ध निरीक्षक कार्रवाई करेंगे और अपनी रिपोर्ट सरकार को भी मुहैया कराएँगे।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 6.4.2022)

रक्सौल चैम्बर ऑफ कॉमर्स को "कोरोना वारियर्स " सम्मान

दिनांक 18-04-2022 को रक्सौल अनुमंडल प्रशासन और रक्सौल स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा "जश्न-ए-टीका" सम्मान समारोह का आयोजन श्री सत्यनारायण मारवाड़ी पंचायती मंदिर के प्रांगण में किया गया।

इस कार्यक्रम में कोविड-19 महामारी के दौरान रक्सौल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज द्वारा नि:शुल्क ऑक्सीजन बैंक, 11 डॉक्टरों के समूह को लेकर पूरा बिहार और नेपाल के लोगों को ऑनलाइन मेडिकल सुविधा देने और शत-प्रतिशत वैक्सीन युक्त नगरपरिषद् को बनाने में अतुलनीय योगदान के लिए रक्सौल चैम्बर को **"कोरोना वॉरियर्स"** के रूप में सम्मानित किया गया।

"बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से रक्सौल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।"

– पी॰ के॰ अग्रवाल
अध्यक्ष, बी.सी.सी.आई.

'कोरोना वारियर्स' का सम्मान ग्रहण करते रक्सौल चैम्बर के अध्यक्ष श्री अरूण कुमार गुप्ता। साथ में हैं मीडिया प्रभारी श्री शम्भू चौरसिया एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री राजीव प्रियदर्शी।

सुविधा : पटना एयरपोर्ट पर एंबुलिफ्ट सेवा शुरू

पटना एयरपोर्ट को यात्री सुविधाओं के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपकरण से लैस किया गया है। एयरपोर्ट पर मरीजों और बुजुर्ग यात्रियों की सुविधा के लिये एक एबुलिफ्ट सेवा शुरू की गयी है। दिव्यांग और बुजुर्ग यात्री इसका उपयोग सौ रूपये शुल्क देकर कर सकते हैं।

कई बार गंभीर मरीज उपचार के दौरान कई तरह के लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर होते हैं। ऐसे में स्ट्रेचर के सहारे रैंप के जरिए मरीज को विमान में चढ़ाने और उतारने के दौरान झटका लगने का खतरा बना रहता है। यात्रियों की मांग पर इस एंबुलिफ्ट की सुविधा मरीजों को मिल सकेगी।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 2.4.2022)

418 अरब डालर का रिकार्ड निर्यात

सप्लाई चेन की दिक्कतों के बीच वित्त वर्ष 2021-22 में निर्यात के मोर्चे पर देश ने रचा नया कीर्तिमान

गत 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष 2021-22 में 417.8 अरब डालर का रिकार्ड निर्यात किया गया। यह वित्त वर्ष 2020-21 के मुकाबले 40 प्रतिशत अधिक है। सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 400 अरब डालर का निर्यात लक्ष्य तय किया था। हालांकि इस दौरान भारत ने 610.2 अरब डालर का आयात किया। इस तरह गत वित्त वर्ष में भारत का व्यापार घाटा 192.4 अरब डालर रहा। वित्त वर्ष 2020-21 में 102 अरब डालर का व्यापर घाटा था। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक इस साल मार्च में 40.4 अरब डालर का निर्यात किया गया जो पिछले साल मार्च के मुकाबले 14.5 प्रतिशत तो वर्ष 2020 मार्च के मुकाबले 88 प्रतिशत अधिक है। पहली बार किसी एक माह में 40 अरब डालर से अधिक का निर्यात किया गया है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 3.4.2022 को निर्यात संबंधी जानकरी देते हुए कहा इन दिनों भारतीय अर्थव्यवस्था रिकार्ड तोड़ने में जुटी है। गोयल ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष 2021-22 कोरोना की दूसरी और तीसरी लाहर से प्रभावित रहा। वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन बाधित रही। कंटेनर की कमी रही। इस सबके बावजूद भारत के वस्तु निर्यात ने नया रिकार्ड कायम किया है। उन्होंने बताया कि पहले भारत पड़ोसी देश या आसियान देशों को अधिक निर्यात करता था, लेकिन गत वित्त वर्ष में अमेरिका, नीदरलैंड, सिंगापुर, बेल्जियम, यूएई जैसे देशों में भारतीय निर्यात में अच्छी बढोतरी दर्ज की गई। गत वित्त वर्ष के निर्यात में इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम पदार्थ, जेम्स और ज्वेलरी, इलेक्ट्रानिक्स वस्तुओं का अहम योगदान रहा।

48.59 अरब डालर का कृषि निर्यात : वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में 48.59 अरब डालर का कृषि निर्यात रहा जो वित्त वर्ष 2020-21 के मुकाबले 20 प्रतिशत अधिक है। समुद्री उत्पाद के निर्यात में 31 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही। चावल के निर्यात में पूर्व वित्त वर्ष के मुकाबले नौ प्रतिशत का इजाफा रहा। 2021-22 में 4.46 अरब डालर का चीनी निर्यात किया गया जबकि वित्त 2020-21 में चीनी निर्यात 2.65 अरब डालर था।

निर्यात में हुई वृद्धि

पेट्रोलियम उत्पाद	152%	इंजीनियरिंग गुड्स	46%
काटन यार्न, फैब्रिक, हैंडलूम	55%	इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स	41%
जेम्स व ज्वेलरी	50%	कॉफी	41%

(साभार : दैनिक जागरण, 3.4.2022)

जीवनरक्षक दवाएँ भी बनेंगी जेब पर बोझ

महंगाई की चौतरफा मार से जूझ रहे लोगों की मुसीबत अब महँगी दवाइयाँ भी बढ़ाएंगी। सरकार ने दवाइयों के थोक मूल्य में 10.76 प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दवा कंपनियों को दे दी है।

पटना के दवा दुकानों में अगले 10 से 15 दिनों में बढ़ी दर पर दवाइयाँ मिलेंगी। खुदरा दुकानों में यह वृद्धि वर्तमान दर से 10 से 15 प्रतिशत ज्यादा होगी। महँगी होने वाली दवाइयों की सूची में कैंसर, शुगर, बीपी, हृदय रोग, थॉयराइड, सर्दी-खांसी समेत 872 प्रकार की जीवनरक्षक दवाइयाँ शामिल हैं। इस सूची से बाहर भी कई दवाइयाँ हैं, जिसकी कीमत पहले से ही बढ़ी हुई है। इसमें डिटॉल, सेवलॉन, मलहम, पट्टी व अन्य रसायनिक सॉल्यूशन शामिल हैं। केन्द्र सरकार की एजेंसी नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी ने इन दवाइयों के मूल्य में बढ़ोतरी की मंजूरी कंपनियों को दी है। कोरोना काल के कारण पिछले साल सूची में शामिल दवाइयों की मूल्य वृद्धि पर रोक लगा दी गई थी।

बिहार केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के महासचिव प्रदीप चौरसिया, पटना कैमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सचिव राजेश आर्या ने बताया कि अगले 10 से 15 दिनों में खुदरा बाजार में नई दर की दवाइयाँ आ जाएँगी। सूची में शामिल जीवनरक्षक दवाइयों के दाम पिछले साल नहीं बढ़े। सरकार ने मूल्य वृद्धि पर रोक लगाई थी। कंपनियों की मांग पर सरकार ने इन दवाइयों के मूल्य में 10.71% तक की बढ़ोतरी की अनुमति दी है। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 6.4.2022)**

चैम्बर के पूर्व कार्यकारिणी सदस्य श्री बलराम प्रसाद जी नहीं रहे

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सम्मानित सदस्य एवं चैम्बर के कार्यकारिणी समिति के सदस्य श्री बलराम प्रसाद जी (83) का निधन दिनांक 26 अप्रैल 2022 को हो गया। उनके निधन से चैम्बर मर्माहत है।

स्व० बलराम प्रसाद जी चैम्बर के अतिरिक्त बिहार राज्य खाद्यान व्यवसायी संघ के अध्यक्ष एवं श्री कृष्ण गोशाला, पटना सिटी सहित कई अन्य संस्थाओं से सक्रिय रूप से जुड़े थे। स्व० बलराम प्रसाद जी का सरल, स्पष्टवादी एवं परोपकारी व्यक्तित्व था। सामाजिक कार्यों में भी उनकी गहरी रुचि थी।

चैम्बर द्वारा प्रेषित शोक प्रस्ताव में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा बलराम प्रसाद जी के निधन पर गहरी शोक एवं संवेदना व्यक्त करते हुए सर्व शक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना की गयी कि दिवंगत आत्मा को चिरस्थायी शांति एवं उनके शोक संतप्त परिजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

स्वास्थ्य संस्थानों को प्रदूषण नियंत्रण पर्षद का प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य

स्वास्थ्य विभाग जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली को लेकर सख्त

प्रदेश के सभी सरकारी एवं निजी स्वास्थ्य संस्थाओं को राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से जीव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देश के आलोक में स्वास्थ्य विभाग जीव चिकित्सा अपशिष्ट और सामूहिक जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बाबत स्वास्थ्य विभाग के सचिव गोरखनाथ ने सभी सिविल सर्जन को सरकारी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और स्वास्थ्य उप केन्द्र को जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन का सर्टिफिकेट लेने को राज्य प्रदूषण पर्षद में तत्काल आवेदन करने के लिए अन्य मद से दो हजार रुपए का शुल्क जमा करने के निर्देश दिये हैं। सचिव ने सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों से जुर्माना वसूलने की चेतावनी दी है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देश पर हो रही कवायद : • 15027 स्वास्थ्य संस्थान पर्षद के प्रमाणपत्र के बिना ही संचालित हैं प्रदेश में • सभी सिविल सर्जन को पर्षद से सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए शुल्क जमा करने का निर्देश • निगरानी के लिए गठित बैठक में सर्टिफिकेट लेने में लापरवाही बरते जाने पर चिन्ता जाहिर की गई। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 2.4.2022)**

INDO-ISRAEL PROJECT : SHOP IN CITY TO SELL ORGANIC VEGETABLES, FRUITS

Apart from fruits and vegetables, home-made pickles, natural honey and fried 'makhana', are other attraction for the customers at the outlet

The state agriculture department has recently opened a shop of only organic vegetables and fruits at Hartali Mor under the 'Indo-Israel Centre of Excellence Project'.

The shop aims at providing healthy organic products, including variety of home-made items, at reasonable rates.

(Details - Times of India, 5.4.2022)

LOCAL PRODUCTS ON SALE AT 5 RLY STATIONS UNDER ECR

Railways has started exhibition-cum-sale of local products at Patna, Muzaffarpur, Darbhanga, Gaya and Dhanbad stations under its 'One Station, One Product' scheme.

East Central Railway (ECR) chief public relations officer (CPRO) Birendra Kumar said the exhibition-cum-sale of local products has been started at selected stations. "The idea is to make railway stations the promotional hub of local products as announced in the Union Budget 2022-23. The local artisans have now got an ideal platform to showcase their products, "he added.

(Details - The Times of India, 12.4.2022)

खाद्य तेलों पर स्टाक लिमिट इस वर्ष अंत तक

सरकार ने खाद्य तेलों और तिलहन बीजों के लिए भंडारण सीमा की अवधि इस वर्ष 31 दिसम्बर तक के लिए बढ़ा दी है। रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते आपूर्ति संबंधी बाधाओं के बीच घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है। यह फैसला 1.4.2022 से प्रभावी हो रहा है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर स्टाक लिमिट की अवधि बढ़ा दी, जो 31 मार्च को खत्म हो रही थी। साथ ही सरकार ने रिफाइंड पाम आयल के शुल्क मुक्त आयात की अवधि में इस वर्ष 31 दिसम्बर तक बढ़ा दी। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 1.4.2022)**

सूचना

वाणिज्य-कर विभाग द्वारा फ्लाई ऐश की ईंटों / ईंटों से संबंधित जारी गजट अधिसूचना संख्या एस.ओ.- 74, 75, 76 एवं 77 सदस्यों की सूचनार्थ ई-मेल/व्हाट्सऐप द्वारा भेजी जा चुकी है। यदि किसी सदस्य को आवश्यक हो तो चैम्बर से सम्पर्क करें।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने छोटे करदाताओं से जुड़कर विवादों को निपटाने के लिए ई-विवाद विकल्प स्कीम, 2022 (e-Dispute Resolution Scheme, 2022) को अधिसूचित किया है। 50 लाख तक की कुल रिटर्न आय वाले करदाता, जिनका आयकर विवाद 10 लाख से अधिक नहीं है, इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

उक्त सम्बन्ध में जारी गजट अधिसमचना संख्या S.O. 1642 (E) दिनांक 5 अप्रैल, 2022 की प्रति सदस्यों की सूचनार्थ उद्धृत है:-

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
सी. जी.- डी. एल.-अ. 05042022-234851
CG-DL- 05042022-234851
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II -खण्ड 3 - उप-खण्ड (ii)
PART II - Section 3 - Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1570	नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 5, 2022/चैत्र 15,1944
No. 1570	NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 5, 2022 / CHAITRA 15, 1944

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 5 अप्रैल 2022
(आय-कर)

का. आ. 1642 (अ).- केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 245 डक की उपधारा (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम ई-विवाद संकल्प स्कीम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएँ** - (1) इस स्कीम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है;

(ख) "प्रेषिती" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में नियत है;

(ग) "प्राधिकृत प्रतिनिधि" का वही अर्थ होगा, जो अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) में नियत है;

(घ) "कंप्यूटर संसाधन" का वहीं अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ट) में नियत है;

(ङ) "कंप्यूटर प्रणाली" का अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ठ) में नियत है;

(च)"निर्धारिती का कंप्यूटर संसाधन" में निर्धारिती का आय-कर विभाग के अभिहित पोर्टल में रजिस्ट्रीकृत खाता, निर्धारिती के रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ मोबाइल ऐप या उसके ई-मेल सेवा प्रदाता के साथ निर्धारिती का रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता शामिल है;

(छ) "अंकीय चिह्नक" का वहीं अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (त) में नियत है;

(ज) "नामनिर्दिष्ट पोर्टल" से आय-कर (प्रणाली) के प्रधान महानिदेशक या आय कर (प्रणाली) के महानिदेशक, जैसी स्थिति हो द्वारा जैसा कि वेब पोर्टल में नामनिर्दिष्ट है, अभिप्रेत है ;

(झ) "विवाद समाधान समिति" से आय-कर नियम, 1962 के साथ पठित अधिनियम की धारा 245डक उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार गठित विवाद समाधान समिति अभिप्रेत है;

(ञ) "इलेक्ट्रानिक अभिलेख" का वही अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (न) में नियत है;

(ट) "ई-मेल" या "इलेक्ट्रानिक मेल" और "इलेक्ट्रानिक डाक संदेश" से कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, संसाधन या संचार युक्ति पर निर्मित या प्रेषित या प्राप्त संदेश या सूचना से है, जिसमें पाठ, प्रतिबिंब, श्रव्य, दृश्य और किसी अन्य इलेक्ट्रानिक अभिलेख शामिल है, अभिप्रेत है;

(ठ) "उपांतरित आदेश" से विवाद समाधान समिति के समाधान के आदेश को प्रभाव देने के लिए निर्धारण करने वाले अधिकारी द्वारा पारित आदेश अभिप्रेत है;

(ड) "विवाद समाधान समिति का शासकीय ई-मेल" से पीआर. डीजीआईटी (प्रणाली) या डीजीआईटी (प्रणाली), जैसी भी स्थिति हो द्वारा प्रत्येक विवाद समाधान समिति के विवाद समाधान के प्रयोजनों के लिए आंबटित ई-मेल अभिप्रेत है;

(ढ) निर्धारिती के "रजिस्ट्रीकृत खाता" से नामनिर्दिष्ट पोर्टल में निर्धारिती द्वारा रजिस्ट्रीकृत इलेक्ट्रानिक फाइलिंग खाता अभिप्रेत है;

(ण) "रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता" से ऐसा ई-मेल पता जिस पर इलेक्ट्रानिक संसूचना को प्रेषिती को परिदत्त या भेजा जा सके अभिप्रेत है जिसमें :-

(i) अभिहित पोर्टल में रजिस्ट्रीकृत प्रेषिती के इलेक्ट्रानिक फाइलिंग खाते में उपलब्ध ई-मेल पता; या

(ii) प्रेषिती द्वारा दी गई अंतिम आयकर विवरणी में उपलब्ध ई-मेल पता; या

(iii) प्रेषिती से संबंधित स्थायी खाता संख्या डाटाबेस में उपलब्ध ई-मेल पता; या

(iv) यदि प्रेषिती एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डाटाबेस में उपलब्ध प्रेषिती का ई-मेल पता, आधार संख्या रखता है; या

(v) यदि प्रेषिती एक कंपनी है तब कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिकृत बेबसाइट पर यथा उपलब्ध कंपनी का ई-मेल पता; या

(vi) कोई ई-मेल पता जो प्रेषिती द्वारा आयकर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराया गया हो;

(त) निर्धारिती का "रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर" से अभिहित पोर्टल में निर्धारिती द्वारा रजिस्ट्रीकृत इलेक्ट्रानिक फाइलिंग खाता के यूजर प्रोफाइल में दर्शित होने वाला निर्धारिती का, या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि का मोबाइल नंबर अभिप्रेत है;

(थ) "नियम" से आय-कर नियम 1962 अभिप्रेत है;

(द) "विनिर्दिष्ट शर्तों" से अधिनियम की धारा 245डक के स्पष्टीकरण के खंड (क) में संदर्भित विनिर्दिष्ट शर्त अभिप्रेत है;

(ध) "विनिर्दिष्ट आदेश" से अधिनियम की धारा 245डक के स्पष्टीकरण के खंड (ख) में संदर्भित विनिर्दिष्ट आदेश अभिप्रेत है;

(न) "वीडियो कांफ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी" से वास्तविक समय में लोगों के बीच संचार के लिए, विभिन्न स्थानों पर उपयोगकर्ताओं द्वारा दृश्य-श्रव्य सिग्नलों के ग्रहण करने और प्रसारण के लिए तकनीकी समाधान अभिप्रेत है;

2. उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किंतु अधिनियम में परिभाषित है, वहीं अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में हैं।

3. **स्कीम का विस्तार** : इस स्कीम के अधीन विवाद का समाधान बोर्ड द्वारा विनिदनिर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गो जैसी भी स्थिति हो, द्वारा विनिर्दिष्ट आदेश में किसी फेरफार से उत्पन्न विवाद के संबंध में अधिनियम के अध्याय 19-कक के अधीन विवाद के समाधान के लिए किए गए आवेदनों पर विवाद समाधान समिति द्वारा किया जाए।

4. **विवाद समाधान के लिए प्रक्रिया** : (1) विवाद समाधान के लिए आवेदन, जैसे कि पैरा 3 में यथा संदर्भित है, निम्नलिखित रीति से बरता जाएगा, अर्थात् :-

विवाद समाधान के लिए आवेदन

(i) निर्धारिती जो विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है, किसी भी विनिर्दिष्ट आदेश के संबंध में, विवाद समाधान के लिए निर्धारिती पर अधिकार क्षेत्र वाले प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के क्षेत्र के लिए नामित विवाद समाधान समिति को, इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक आवेदन फाइल कर सकता है।

(ii) नियम 44 घ क ख में संदर्भित प्ररूप संख्या 34ख ग में आवेदन फाइल किया जाएगा :

(क) विवाद समाधान समिति के गठन की तारीख से ऐसे समय के भीतर, जैसे कि बार्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता हो, उन मामलों के लिए जहाँ अपील पहले से ही फाइल की जा चुकी है और आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित है, अथवा

(ख) अन्य मामलों में, विनिर्दिष्ट आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर,

(iii) आवेदन ई-मेल द्वारा विवाद समाधान समिति के प्राधिकृत ई-मेल पर लौटाए गए आप पर कर के भुगतान के प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, यदि उपलब्ध हो और जैसा कि नियम 44 घ क ख के उपनियम (2) में यथा उल्लिखित एक हजार रुपए की फीस के साथ है।

आवेदन की छटनी

(iv) विवाद समाधान समिति विनिर्दिष्ट आदेश के लिए विनिर्दिष्ट शर्तों और मानदंड के संबंध में आवेदन की परीक्षा करेगा।

(v) इस तरह की परीक्षा पर विवाद समाधान समिति, जहाँ यह विचार किया जाता है कि विवाद समाधान के लिए आवेदन खारिज कर दिया जाएगा, निर्धारिती को कारण बताओ नोटिस दी जाएगी कि उनका आवेदन क्यों न खारिज कर दिया जाए, उत्तर फाइल करने के लिए तारीख और समय विनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(vi) विवाद समाधान समिति, निर्धारित के अनुरोध पर, उसे वीडियो टेलीफोनी या वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा जहाँ तक तकनीकी रूप से व्यवहार्य है, के माध्यम से सुनवायी का अवसर प्रदान करेगी;

(vii) निर्धारिती, खंड (v) में संदर्भित कारण बताओ नोटिस का उत्तर विनिर्दिष्ट तारीख और समय के भीतर या ऐसे विस्तारित समय के भीतर प्रस्तुत करेगा जो इस संबंध में किए गए आवेदन के आधार पर विवाद समाधान समिति के लिए अनुमति दी जा सकती है;

(viii) विवाद समाधान समिति, खंड (vii) में निर्धारिती द्वारा दिए गए उत्तर पर विचार करने के पश्चात् आवेदन को अस्वीकार कर सकती है या खंड

(ix) से (xiv) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गुणागुण के आधार पर आवेदन को विनिश्चय करने के लिए आगे बढ़ा सकती है और जहाँ ऐसा कोई उत्तर नहीं दिया गया है, आवेदन को निरस्त कर देगी;

(ix) विवाद समाधान समिति का निर्णय कि विवाद समाधान के लिए आवेदन को आगे बढ़ाने या अस्वीकार करने की अनुमति दी जानी चाहिए, निर्धारिती को उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते पर संसूचित किया जाएगा,

(x) निर्धारिती को संसूचना प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर, कि आवेदन को खंड (ix) में यथा संदर्भित को स्वीकार किया जाता है, को अधिनियम की धारा 246 क के अधीन फाइल अपील को वापस लेने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या विवाद समाधान पैनल के समक्ष आवेदन को वापस लिया जाएगा, यदि कोई हो, विवाद समाधान समिति या हस्तांतरित कि उनके मामले में कोई पूर्वोक्ति कार्यवाही लंबित नहीं है, ऐसा न करने पर विवाद समाधान समिति आवेदन को अस्वीकार कर सकती है।

विवाद समाधान समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया

(xi) विवाद समाधान समिति, खंड (ix) में तथा संदर्भित आवेदन ग्रहण करने पर और खंड (x) में निर्धारिती के उत्तर की प्राप्ति के पश्चात्, आपका प्राधिकारी से अभिलेख की मांग कर सकती है और आवेदन में शामिल मुद्दों के संदर्भ में, जैसा वह ठीक समझे आगे की जांच कर सकती है,

(xii) विवाद समाधान समिति, आवेदन में शामिल मुद्दों पर निर्धारिती अधिकारी से रिपोर्ट या कार्यवाही के दौरान उद्भूत कोई अन्य मुद्दों की मांग कर सकेगी;

(xiii) विवाद समाधान समिति, आवेदन के निपटारा करने से पूर्व, निर्धारिती से आगे की सूचना या उसके रजिस्टीकृत ई-मेल पता में किसी व्यक्ति द्वारा ई-मेल भेजकर मांग सकेगी;

(xiv) निर्धारिती, विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे समय के भीतर जिसे इस निमित्त एक आवेदन के आधार पर विवाद समाधान समिति द्वारा बढ़ाया जा सकता है, विवाद समाधान समिति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करेगा;

(xv) विवाद समाधान समिति, रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात्, जिसमें निर्धारिती से प्राप्त कोई और जानकारी या साक्ष्य सम्मिलित है, आयकर प्राधिकरण या कोई अन्य व्यक्ति, विनिश्चय ले सकता है -

(क) विनिर्दिष्ट आदेश में विभिन्नताओं में उपांतरण करने के लिए, जो निर्धारिती के हित के प्रतिकूल नहीं है, और नियम 44 घ क ग के उपबंधों के अनुसार शास्ति की छूट और अभियोजन से उन्मुक्ति का विनिश्चय और तदनुसार संकल्प का आदेश पारित करें, या

(ख) विनिर्दिष्ट आदेश में विभिन्नताओं में उपांतरण नहीं करने के लिए, किंतु तथापि नियम 44 घ क ग के उपबंधों के अनुसार शास्ति की छूट और अभियोजन से उन्मुक्ति का विनिश्चय ले सकता है, और तदनुसार संकल्प का एक आदेश पारित करें जिसे 'निर्धारिती का हित प्रतिकूल नहीं' आदेश के रूप में माना जाएगा; या

(ग) विनिर्दिष्ट आदेश में विभिन्नताओं में उपांतरण नहीं करने के लिए, और आवेदन का निपटारा करने के लिए एक आदेश पारित करना, जिसे 'निर्धारिती का हित प्रतिकूल नहीं' आदेश के रूप में माना जाएगा,

मास की समाप्ति से छह महीने के भीतर जिसमें विवाद समाधान के लिए आवेदन खंड (viii) के अनुसार विवाद समाधान समिति द्वारा स्वीकार किया जाता है;

(xvi) विवाद समाधान समिति यथास्थिति, निर्धारिती पर आवेदन के संकल्प के आदेश या निपटान करने के आदेश की एक प्रति और यदि अपेक्षित हो, तो उसे प्रभावी करने के लिए निर्धारण अधिकारी को भी प्रदान करेगी;

(xvii) जहाँ विनिर्दिष्ट आदेश, अधिनियम की धारा 144ग की उप-धारा (1) में यथा निर्दिष्ट पात्र निर्धारिती का आदेश है, निर्धारिती विवाद समाधान पैनल के किसी संदर्भ या उपांतरित आदेश के विरुद्ध आयुक्त को कोई भी अपील (अपील) फाइल करने के लिए पात्र नहीं होगा;

(xviii) निर्धारण अधिकारी को मांग का संदाय करने के लिए निर्धारिती पर एक तारीख विनिर्दिष्ट करने की मांग की सूचना के साथ उपांतरित आदेश की एक प्रति तामील करनी होगी;

(xix) निर्धारिती, विवाद समाधान समिति और निर्धारण अधिकारी को भी उक्त मांग के संदाय का प्रमाण प्रस्तुत करेगा;

(xx) विवाद समाधान समिति, नियम 44घकग के उपबंधों के अनुसार लिखित रूप में एक आदेश द्वारा, मांग के संदाय की पुष्टि की प्राप्ति पर, अभियोजन से छूट और शास्ति से छूट, यदि लागू हो प्रदान करेगी।

(2) विवाद के समाधान के लिए विवाद समाधान समिति का आदेश अधिनियम के उपबंधों के अनुसार होगा।

(3) उप-पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विवाद समाधान समिति विवाद समाधान की कार्यवाही के किसी भी चरण में, यदि आवश्यक समझे, कारणों को लेखबद्ध करके और उन्हें सुनवाई का अवसर देने के पश्चात निर्धारिती, विवाद समाधान कार्यवाही को समाप्त करने का विनिश्चय करते हैं यदि,-

(i) निर्धारिती, विवाद समाधान कार्यवाही के दौरान सहयोग करने में विफल रहता है; या

(ii) निर्धारिती, उसके द्वारा जारी की गई किसी नोटिस का प्रतिउत्तर देने में विफल रहता है, या उसके जवाब में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं करता है; या

(iii) समिति का यह समाधान होता है कि निर्धारिती ने कार्यवाही के लिए कोई सामग्री विवरण छुपाया है या झूठे साक्ष्य दिए थे।

(iv) निर्धारिती पैरा 4 के उप-पैरा (1) के खंड (xviii) में अपेक्षित मांग का भुगतान करने में विफल रहता है।

(4) यहाँ उप-पैरा (3) के अनुसार विवाद समाधान की कार्यवाही समाप्त की जाती है, वहाँ विवाद समाधान समिति अधिनियम कें उपबंधों के उधीन आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आयकर प्राधिकरण को सूचित करेगी।

(5) यहाँ आवेदन को पैरा 4 के उप-पैरा (1) खंड (viii) में यथा निर्दिष्ट कार्यवाही करने की अनुमति नहीं दी गई है, निर्धारिती आयुक्त (अपील) को अपील फाइल कर सकते हैं और विवाद समाधान समिति द्वारा विनिश्चय लेने में लगने वाली प्रवेश अवधि ऐसी अपील फाइल करने के लिए उपलब्ध अवधि से बाहर रखा जाएगा।

5. विवाद समाधान समिति की शक्तियाँ : (1) विवाद समाधान समिति नियम 44घकग में विनिर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति पर अधिनियम के उपबंधों से अभियोजन से उन्मुक्ति और शस्ति से छूट प्रदान करने की शक्ति होगी।

(2) विवाद समाधान समिति के समझ किसी भी कार्यवाही को धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत और भारतीय दंड संहिता की धारा 196 (1860 का 45) की धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही के रूप में समझा जाएगा और प्रत्येक आयकर प्राधिकरण धारा 195 के प्रयोजनों के लिए एक सिविल न्यायालय होगा किंतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के अध्याय 16 के प्रयोजनों के लिए नहीं माना जाएगा।

(3) यदि विवाद समाधान समिति के किसी आदेश को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, यह स्वय के प्रस्ताव पर यथास्थिति, प्रधान आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त के माध्यम से, निर्धारिती या निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए आवेदन पर कठिनाई को दूर कर सकता है जहाँ तक यह अधिनियम के उपबंधों के साथ असंगत नहीं है।

6. आरोपित शास्ति से छूट और अभियोजन से उन्मुक्ति : विवाद समाधान समिति, पैरा (4) के उप-पैरा (1) के खंड (xix) के अनुसार संदाय के सबूत के प्राप्त होने पर, उस व्यक्ति को अनुदान देगा जिसने अधिनियम की धारा 245डक के अधीन विवाद समाधान के लिए आवेदन किया है, नियम 44 घकग के अनुसार इस अधिनियम के अधीन शास्ति से छूट या अभियोजन से उन्मुक्ति या दोनों से छूट मिलेगी।

7. अपील या पुनर्विलोकन : उपांतरित आदेश के विरुद्ध कोई अपील या पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा।

8. फाइल किया जाने वाला प्राधिकरण : निर्धारिती के लिए उपस्थित होने वाला एक अधिकृत प्रतिनिधि सुनवाई इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुनवाई आरंभ होने से पूर्व, एक दस्तावेज फाइल करेगा उसे निर्धारिती के लिए उपस्थित होने के लिए अधिकृत करना और यदि वह निर्धारिती का रिश्तेदार है, तो दस्तावेज निर्धारिती के साथ अपने संबंधों की प्रकृति का उल्लेख करेगा, या यदि निर्धारिती द्वारा वह नियमित रूप से एक व्यक्ति है उस क्षमता को नियोजित किया जाता है जिसमें वह उस समय नियोजित होता है।

9. विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा संसूचना का आदान-प्रदान : इस स्कीम के प्रयोजन के लिए-

(क) यथास्थिति, विवाद समाधान समिति और निर्धारिती या निर्धारिती या

किसी अन्य व्यक्ति के अधिकृत प्रतिनिधि के बीच सभी संसूचना का विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा साध्य तकनीकी रूप से व्यवहार्य रूप से आदान-प्रदान किया जाएगा, और

(ख) विवाद समाधान समिति, या किसी आयकर प्राधिकरण के बीच आंतरिक संसूचना का विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा आदान-प्रदान किया जाएगा।

10. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण : इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड द्वारा-

(i) यथास्थिति, विवाद समाधान समिति, प्रधान आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त, अपने डिजिटल हस्ताक्षर लगाकर प्रमाणित किया जाएगा;

(ii) निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति, अपने डिजिटल हस्ताक्षर लगाकर यदि अपेक्षित हो तो डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियमों के अधीन, और अपने रजिस्ट्रीकृत ईमेल पते के माध्यम से संसूचना द्वारा अन्य मामला में प्रमाणित किया जाएगा।

11. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का वितरण : (1) इस स्कीम के अधीन प्रत्येक नोटिस या आदेश या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, निर्धारिती होने के नाते या किसी अन्य व्यक्ति को, निम्नलिखित के माध्यम से निर्धारिती को दिया जाएगा-

(क) यथास्थिति, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत खाता के पास उसकी एक प्रमाणित प्रति रखना; या

(ख) यथास्थिति, निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति, या उसका अधिकृत प्रतिनिधि रजिस्ट्रीकृत ईमेल पते पर इसकी एक प्रमाणित प्रति भेजना।

(2) इस स्कीम के अधीन प्रत्येक नोटिस या आदेश या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसूचना वास्तविक समय सतर्कता द्वारा अपनाते हुए ऐसे व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत ईमेल पते पर, उसकी एक प्रमाणित प्रति भेजकर, किसी अन्य व्यक्ति होने के नाते, पता करने वाले को दिया जाता है।

(3) यथास्थिति, निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति, विवाद समाधान समिति के शासकीय ई-मेल के लिए उसके रजिस्ट्रीकृत खाता के माध्यम से, इस स्कीम के अधीन नोटिस या आदेश या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के लिए अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत करेगा, और एक बार पावती विवाद समाधान समिति द्वारा भेजी जाती है, प्रतिउत्तर को प्रमाणित किया गया माना जाएगा।

(4) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रेषण और प्राप्ति का समय और स्थान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 13 के उपबंधों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

12. विवाद समाधान समिति के समक्ष कोई व्यक्तिगत उपस्थिति नहीं : (1) एक व्यक्ति से विवाद समाधान समिति या आयकर प्राधिकरण के समक्ष इस स्कीम के अधीन व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से किसी भी कार्यवाही के संबंध में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) यथास्थिति, निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति या उसका अधिकृत प्रतिनिधि व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुरोध कर सकते हैं जिससे विवाद समाधान समिति के समझ अपना मौखिक निवेदन कर सकें या अपना मामला पेश कर सकें।---

(3) विवाद समाधान समिति उप-पैरा (2) में यथा निर्दिष्ट व्यक्तिगत सुनवाई के अनुरोध को स्वीकार कर सकती है।

(4) जहाँ व्यक्तिगत सुनवाई के अनुरोध को विवाद समाधान द्वारा अनुमोदित किया गया हो समिति, ऐसी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी, हद तक बोर्ड, द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार तकनीकी रूप से व्यवहार्य के विस्तार के लिए जिसमें कोई भी दूरसंचार अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर जो वीडियो टेलीफोनी का समर्थन करता है का उपयोग भी सम्मिलित है।

(5) बोर्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उपयुक्त सुविधाओं की स्थापना करेगा जिसके अंतर्गत दूरसंचार अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर जो ऐसे स्थानों पर वीडियो टेलीफोनी का समर्थन करता है जो आवश्यक समझी जाए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारिती, या उसका अधिकृत प्रतिनिधि या कोई भी अन्य व्यक्ति इस स्कीम के लाभ से केवल इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है कि ऐसा निर्धारिती या उसके प्रतिनिधि, या किसी अन्य व्यक्ति के पास अपने भाग में सम्मेलन वीडियो तक पहुँच नहीं है, सम्मिलित हैं।

13. कार्यवाही जनता के लिए खुली नहीं है : विवाद समाधान समिति के समक्ष जनता के लिए कार्यवाही खुली नहीं होगी और कोई भी व्यक्ति (निर्धारिती के अलावा, उसका कर्मचारी, विवाद समाधान समिति या आयकर प्राधिकरण या अधिकृत प्रतिनिधि के संबंधित अधिकारी), विवाद समाधान समिति की अनुमति के बिना, ऐसी कार्यवाही के दौरान यद्यपि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी पर भी उपस्थित रहें।

14. विवाद समाधान समिति की भाषा : (1) विवाद समाधान समिति की भाषा निर्धारिती के विकल्प पर हिन्दी या अंग्रेजी होगी।

(2) जहाँ कोई दस्तावेज अँग्रेजी या हिन्दी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, वहाँ एक अँग्रेजी अनुवाद उसके साथ भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(3) संकल्प आदेश और विवाद समाधान समिति द्वारा पारित कोई अन्य आदेश विवाद समाधान समिति के विवेक पर हिन्दी या अँग्रेजी में हो सकता है।

15. प्रारूप, पद्धति, प्रक्रिया और प्रक्रियाओं को विनिर्दिष्ट करने की शक्ति : यथास्थिति, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली)/ आय-कर महानिदेशक (प्रणाली), क्षेत्राधिकार प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त या प्रधान आयकर महानिदेशक के परामर्श से, विवाद समाधान समिति के प्रभारी और बोर्ड के अनुमोदन से मानकों, प्रक्रियाओं और इस स्कीम के अधीन विवाद समाधान समितियों के प्रभावी क्रियाकलाप के लिए स्वचालित और मशीनीकृत वातावरण में जिसके अंतर्गत निम्नलिखित के संबंध में प्रक्रियाएँ, प्रारूप, पद्धति और प्रक्रियाओं को अधिकथित करेगा अर्थात्:-

(i) आदेश या किसी अन्य संसूचना की सेवा;

(ii) प्रतिउत्तर में व्यक्ति से कोई सूचना या दस्तावेज प्राप्त करना नोटिस, आदेश या कोई अन्य संचार;

(iii) विवाद समाधान समिति को शासकीय ईमेल-आईडी जारी करना;

(iv) व्यक्ति द्वारा दिए गए उत्तर की पावती जारी करना;

(v) लॉगिन खाता सुविधा, ट्रैकिंग सहित "ई-कार्यवाही" सुविधा का उपबंध विवाद समाधान कार्यवाही की स्थिति, सुसंगत विवरण का प्रदर्शन और यदि अपेक्षित हो तो डाउनलोड करने की सुविधा;

(vi) सूचना और प्रतिक्रिया तक पहुँच, सत्यापन और प्रमाणीकरण विवाद समाधान कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों सहित;

(vii) एक केन्द्रीयकृत रीति में सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति, भंडारण और पुनर्प्राप्ति; और

(viii) विवाद समाधान समितियाँ के संबंध में साधारण प्रशासन और शिकायत निवारण तंत्र।

[(अधिसूचना सं. 27/2022/फा. सं. 370142/05/2022-टीपीएल-भाग 1 (भाग 1)]

शेफाली सिंह
अवर सचिव, कर नीति और विधायन

इस बार 11.73% अधिक वाणिज्य कर हुआ संग्रह

• पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में 32 हजार 83 करोड़ टैक्स हुआ था जमा, 2021-22 में बढ़कर हुआ 35 हजार 846 करोड़ रुपये • 18.04 प्रतिशत अधिक जीएसटी हुआ जमा

बिहार में बीते वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट रिकार्ड दो लाख एक हजार करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ। इस दौरान टैक्स संग्रह और समुचित तरीके से वित्तीय प्रबंधन के कारण ही इतना बड़ा खर्च हो सका है। वाणिज्य कर विभाग में 32 हजार 83 करोड़ रुपये टैक्स संग्रह हुआ, जबकि 2021-22 में यह बढ़कर 35 हजार 846 करोड़ रुपये हो गया। इस दौरान जीएसटी मद में 18.04 प्रतिशत और नन-जीएसटी मद में 4.03 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गयी है। जीएसटी में 28 हजार 200 करोड़ और गैर-जीएसटी यानी पेट्रोल, डीजल, विद्युत शुल्क व पेशाकर समेत अन्य मद में सात हजार 646 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। 2017-18 में विभाग का टैक्स संग्रह 20 हजार 277 करोड़ रुपये था जो आज बढ़कर 35 हजार 846 करोड़ हो गया है। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 2 अप्रैल, 2022)**

लक्ष्य से 242 करोड़ अधिक राजस्व हासिल

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ऊर्जा परिवार की दृढ़ इच्छाशक्ति ने हमें लक्ष्य से अधिक हासिल करने में मदद की।

बिजली कंपनी बीएसपीएचसीएल ने समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 10,742 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल किया है। यह निर्धारित लक्ष्य से 242 करोड़ रुपये अधिक है। इस उपलब्धि पर ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि ऊर्जा परिवार की दृढ़ इच्छाशक्ति ने हमें लक्ष्य से अधिक हासिल करने में मदद की है। कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद यह उपलब्धि सराहनीय है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिजली कंपनी ने 10,742 करोड़ रुपये का व्यवसाय किया, जबकि 2020-21 में बिजली कंपनी ने 10,099 करोड़ रुपये का व्यवसाय किया, बीएसपीएचसीएल ने वर्ष 2021-22 में 10,500 करोड़ रुपए के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा था। कंपनी ने 2020-21 की तुलना में 2021-22 में 643 करोड़ रुपये अधिक का व्यवसाय किया।

राजस्व वसूली

वित्तीय वर्ष 2020-21 : उत्तर बिहार - 4,682 करोड़ / दक्षिण बिहार -5,417 करोड़

वित्तीय वर्ष 2021-22 : उत्तर बिहार - 5,176 करोड़ / दक्षिण बिहार - 5,566 करोड़।

(साभार : दैनिक जागरण, 2 अप्रैल, 2022)

प्रदेश के अब 85 छोटे शहरों का बनेगा जीआइएस आधारित नक्शा

डिजिटल नक्शा हो सकेगा उपलब्ध, मकान का भी उपलब्ध होगा डाटा

बड़े शहरों के बाद अब राज्य के छोटे शहरों का भी जीआइएस (ज्योग्राफी इन्फार्मेशन सिस्टम) आधारित नक्शा तैयार किया जाएगा। शहरों का प्रोपर्टी सर्वे भी होगा। इसके लिए 85 शहरी निकायों का चयन कर उन्हें नौ श्रेणियों में बांटा गया है। क्षेत्रवार बांटी गई हर श्रेणी में सात से 11 शहर हैं। इसमें खुसरूपुर, इस्लामपुर, बरबीघा, झाझा, झंझारपुर, दलसिंहसराय, शिवहर, सुपौल, वीरपुर, अररिया, फारबिसगंज, बिक्रम आदि शामिल हैं।

- **ग्रुप एक :** खुसरूपुर, अमरपुर, हवेली खड़गपुर, सिलाव, इस्लामपुर, हिसुआ, वारसलीगंज, बरबीघा, झाझा।
- **ग्रुप दो :** मनिहारी, बरसोई, गोगरी जमालपुर, बखरी, बलिया, रोसड़ा, दलसिंह सराय, बहादुरगंज, ठाकुरगंज।
- **ग्रुप तीन :** बेनीपुर, मधुबनी, जयनगर, झंझारपुर, घोघरडिहा, जनकरपुर रोड, बेलसंड, शिवहर, सुरसंड, डुमरा।
- **ग्रुप चार :** सुपौल, वीरपुर, निर्मली, सिमरी बख्तियारपुर, मधेपुरा, मुरलीगंज, कसबा, बनमनखी, अररिया, फारबिसगंज, जोगबनी।
- **ग्रुप पाँच :** बगहा, नरकटियागंज, चनपटिया, रामनगर, रक्सौल, ढाका, पकड़ीदयाल।
- **ग्रुप छह :** शाहरपुर, बिक्रमगंज, कोथ, पीरो, बिहिया, जगदीशपुर, कोईलवर, कोचस, मोहनिया, बिक्रम, नौबतपुर।
- **ग्रुप सात :** नोखा, नासरीगंज, दाउदनगर, टेकारी, रफीगंज, शेरघाटी, नबीनगर, मखदुमपुर।
- **ग्रुप आठ :** मीरगंज, बिरौली, कटैया, गोपालगंज, मैरवा, एकमाबाजार, परसा बाजार, मढ़ौरा, साहेबगंज, केसरिया, महाराजगंज।
- **ग्रुप नौ :** लालगंज, महुआ, मोतीपुर, काटी, बरगैनिया, चकिया, सुगौली, अरेराज, मेहषी।

(साभार : दैनिक जागरण, 3.4.2022)

अप्रैल 2023 से वाहनों का स्टेशनों पर टेस्ट अनिवार्य

अगले दो वर्षों में वाहनों की ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों (एटीएस) पर फिटनेस जाँच अनिवार्य हो जाएगी। केन्द्र सरकार ने इस संबंध में पाँच अप्रैल को अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार, अप्रैल 2023 से व्यावसायिक और जून 2024 से निजी वाहनों पर यह नियम लागू कर दिया जाएगा।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 8.4.2022)

विनम्र निवेदन

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के सदस्यता शुल्क के भुगतान हेतु विपत्र सदस्यों की सेवा में भेजा जा चुका है।

माननीय सदस्यों से विनम्र निवेदन है कि अपना सदस्यता शुल्क यथाशीघ्र भेजने की कृपा करें।

69 अनुसूचित नियोजनों की 01-04-2022 से प्रभावी न्यूनतम मजदूरी की दरें

क्र० सं०	कामगारों की कोटि	दिनांक 1.12.2016 + 1.4.2017 + 1.10.2017 + 1.4.2018 + 1.10.2018 + 1.4.2019 + 1.10.2019 + 1.4.2020 + 1.10.2020 + 1.4.2021 + 1.10.2021 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्त्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक 1.4.2022 से प्रभावी होगी	1.4.2022 से लागू कुल मजदूरी की दरें (स्तंभ 3 + 4)
1	2	3	4	5
1	अकुशल	237.00 + 5.00 + 5.00 + 7.00 + 3.00 + 11.00 + 9.00 + 10.00 + 5.00 + 12.00 + 2.00 = 306.00	12.00	318.00 प्रति दिन
2	अर्द्धकुशल	247.00 + 5.00 + 5.00 + 8.00 + 3.00 + 11.00 + 10.00 + 10.00 + 5.00 + 12.00 + 2.00 = 318.00	12.00	330.00 प्रति दिन
3	कुशल	301.00 + 6.00 + 6.00 + 9.00 + 3.00 + 15.00 + 12.00 + 12.00 + 6.00 + 15.00 + 3.00 = 388.00	15.00	403.00 प्रति दिन
4	अतिकुशल	367.00 + 7.00 + 7.00 + 11.00 + 4.00 + 19.00 + 14.00 + 15.00 + 7.00 + 19.00 + 4.00 = 474.00	18.00	492.00 प्रति दिन
5	पर्यवेक्षीय/ लिपिकीय	6799.00 + 136.00 + 139.00 + 212.00 + 73.00 + 324.00 + 272.00 + 272.00 + 136.00 + 340.00 + 68.00 = 8771.00	340.00	9111.00 प्रति माह

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
SUBODH KUMAR JAIN
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296